राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

NIRDPR

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

www.nirdpr.org.in

संख्या: 289

प्रगति

समाचार पत्र

जून 2019

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका

ग्रामीण विकास में मोबाईल– आधारित क्षेत्र डेटा संकलन

3 | ग्रामीण विकास में मोबाईल आधारित क्षेत्र डेटा संकलन

विषयक्रम

5
पी एम ए वाई – जी : किशनगंज, बिहार से एक सफल कहानी

8
एशिया पैसिफिक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण पर संगोष्ठी

10
मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी के सहयोग से विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन पर क्षमता निर्माण

11
एनआईआरडीपीआर ने मनाया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

12
पर्यावरणात्मक संरक्षण एवं मानव जिम्मेदारी

15
अनुभवातीत ध्यान के माध्यम से तनाव को दूर करना विषयक पुस्तकॉलय व्याख्यान

16
तेलंगाना में ओ डी एफ की सततता के लिए जिला विशिष्ट एस बी सी सी योजना और कार्यान्वयन पर दो दिवसीय कार्यशाला

17
सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेहिता पर क्षेत्रीय टी ओ टी कार्यक्रम

19
ग्रामीण विकास के लिए छोटे उद्यमों के वित्तपोषण पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

21
समूह आधारित रणनीतियों द्वारा महिलाओं में सुधार पोषण (विंग) : सैद्धांतिक एवं ऐतिहासिक आधार को सुदृढ़ करना विषय पर डॉ. नेहा कुमार, आई एफ पी आर आई ने प्रस्तुत किया व्याख्यान

23
सतत आजीविकाओं के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पद्धतिओं पर प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

ग्रामीण विकास में मोबाईल-आधारित क्षेत्र डाटा संकलन

प्रत्येक क्षेत्र में ओपन सोर्स टेक्नालोजी बढ़ती जा रही है और कई अनुप्रयोग जिसका प्रयोग अनुसंधान डाटा संकलन और स्थान आधारित सर्वेक्षण में किया जाता है वह उपलब्ध है| इस सम्बध में, क्षेत्र डेटा संकलन के लिए मुक्त और खुला स्रोत मोबाईल आधारित टूल / अनुप्रयोगों के संभावित अनुप्रयोगों की सूचना अत्यन्त आवश्यक है| चर्चित साधनों का उपयोग ग्रामीण विकास सहित किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है|

सी-गार्ड, एन आई आर डी पी आर वह केन्द्र है जो ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, भौगोलिक सूचना व्यवस्था (जी आई एस) अनुप्रयोग का कार्य करता है सी आई सी टी, एन आई आर डी पी आर वह केन्द्र है जो ग्रामीण विकास के लिए आई टी में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण और अनुप्रयोगों के लिए समर्पित है| दोनो ही केन्द्र अनुप्रयोग प्रबंधन तथा विभिन्न मुक्त और खुला स्रोत मोबाईल- आधारित डेटा संकलन टूल्स जैसे – ओपन डेटा किट (ओ डी के), ओसमंड इत्यादि पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण का कार्य करते है|

क्षेत्र डेटा संकलन के लिए मोबाईल – आधारित तकनोलॉजी के अनुप्रयोग परिसीमाओं के आधार पर व्यापक रुप से दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है|

क) वे टूल्स जो अपने वैयक्तिक मोबाईल में थोड़ी सूचना के साथ (विशेषतायें) प्वाइंट और लाईन्स के रुप में विभिन्न साईटों पर लोकेशन को देने में समर्थ है|

ख) वे टूल्स जो लोकेशन्स (अधिकतर प्वाइंट), फोटो, वीडियों, ऑडियों एवं प्रि डिजाईन रुपों में अपेक्षित सूचना प्रदान करने में समर्थ है| उसी प्रकार से इसका उपयोग संकलन और एकीकरण के लिए सर्वर को डेटा भेजने के लिए मल्टिपल लोकेशन्स में मल्टिपल मोबाईल में भी किया जा सकता है|

> **“ स्थान और मीडिया के साथ नेट की स्वतंत्रता, बहुभाषी, मोबाईल आधारित डेटा संकलन के लिए ओपन स्रोत टूल्स की उपलब्धता एक वरदान है| सभी विकास पदाधिकारियों, शिक्षाविदों एवं शोधकर्ताओं द्वारा संभावित उत्तम रीति से इस अवसर का उपयोग किया जाना चाहिए ”**

दोनो ही खंडो को चित्र 1 (पृष्ठ सं.4)में प्रदर्शित किया गया है|

सी-गार्ड पहले से ही चित्र – 1 में उद्धृत अपने प्रकार के प्रथम टूल्स पर ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्य में सम्मिलित है| ओएसएमएएनडी जैसे टूल्स को प्रशिक्षण में प्राथमिकता दी गई है क्योंकि इसमें स्टैंडर्ड ओपन सोर्स / फ्री लाईसेंस है तथा ऑफलाईन ओपन स्ट्रीट मैप (ओ एस एम) मैप्स फॉर ऑफलाईन विज्युलाईजेशन एंड नेविगेशन अलांग विथ अदर ऑन लाईन मैप्स जैसे – माईक्रोसॉफ्ट बिंग सैटेलाईट मैप की क्षमता है|

एनआईआरडीपीआर की परियोजना आवश्यकताओं और अनुसंधान को देखते हुए तथा त्रुटियों को कम करने तथा अध्ययनों की गति को बढ़ाने के लिए महानिदेशक, एन आई आर डी पी आर ने इच्छा व्यक्त की कि संस्थान में मोबाईल आधारित डाटा संकलन टूल्स को लागू किया जाए । जैसे कि ओ डी के का उपयोग व्यापक रुप से किया जाता है तथा यह प्रमाणित एवं मुफ्त में स्थापित तथा ओपन सोर्स टूल सूट है अत: यह सुझाव दिया गया है कि एन आई आर डी पी आर टीम में इसका उपयोग किया जाता है जिसके लिए एन आई आर डी पी आर प्रशासन द्वारा स्वीकृति भी दी गई है | ओ एस जियो फाऊण्डेशन एवं जी आई एस हेतु फ्री एण्ड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (एफ ओ एस एस 4 जी) के मुख्य विशेषज्ञों के समर्थन से ओपन डेटा किट (ओडीके) पर 2-4 नवंबर, 2019 के दौरान एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में तीन दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई| कार्यशाला के तीसरे दिन एन आई आर डी पी आर में कुछ कंप्यूटरों पर

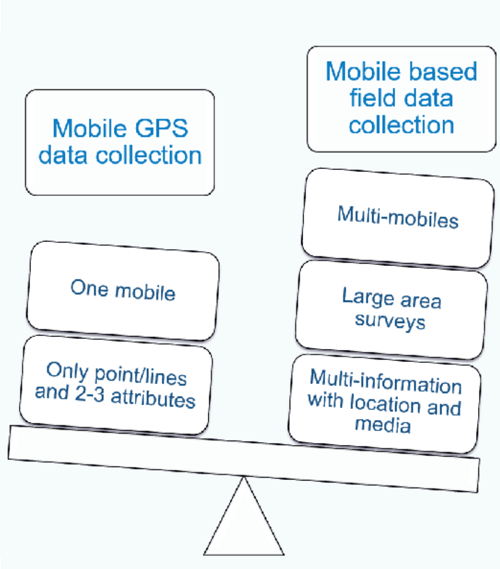

चित्र 1: क्षेत्र डेटा संग्रह के लिए मोबाइल-आधारित प्रौद्योगिकियां

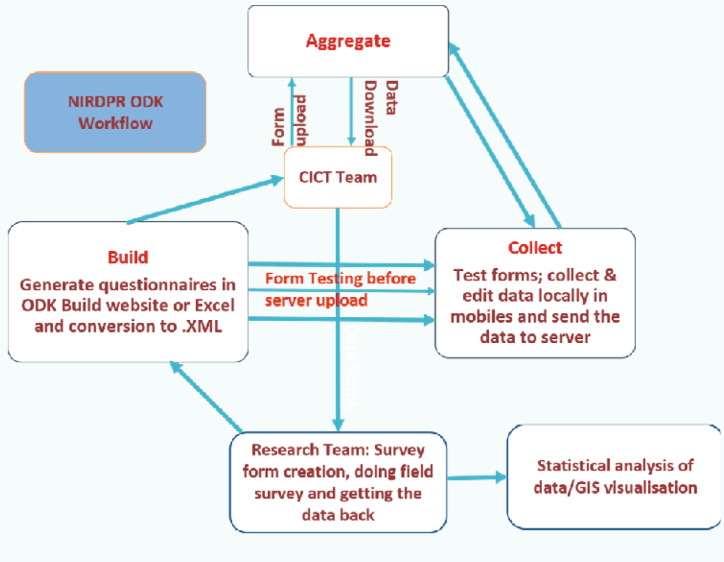

चित्र 2: एनआईआरडीपीआर में ओडीके कार्यप्रवाह

ओडीके स्थानीय सर्वर की व्यवस्था की गई| इस सर्वर का परीक्षण स्टॉफ सीआईसीटी के कम्रचारियों एवं एन आई आर डी पी आर के संकाय सदस्यों द्वारा किया गया| तब से ओपन डेटा किट (ओडीके) एनआईआरडीपीआर के उपयोग हेतु उपलब्ध है|

ओडीके का उपयोग ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के विभिन्न प्रासंगिक फ्लैगशिप स्कीमों के अंतर्गत प्रमुख विषयगत क्षेत्रों में एन आई आर डी पी आर के अनुसंधान अध्ययनों और परियोजनाओं में किया जा रहा है|

एनआईआरडीपीआर में ओडीके डेटा एवं प्रक्रिया प्रबंधन

सीआईसीटी टीम के मार्गदर्शन में अनुसंधान टीम सदस्य हार्ड कॉपी सर्वे शेड्युल्स / फार्म ऑफ रिसर्च स्टडी को ओ डी अनुकूल रूपों को एक्स एम एल फार्मेट में रुपातंरित करते है| इसे वैयक्तिक क्रेडेन्शियल के साथ ओडीके बिल्ड साईट (http://build.opendatakit.org) में किया जा रहा है|

वैकल्पिक रुप में, जटिल रूपों के लिए 'एक्स एल एस फार्म' का उपयोग किया जाता है । एक्स एल एस फार्म एक फार्म मानक है जिसे एक्सेल (http://XLform.org.in) में फार्म के प्राधिकार को सरलीकृत करने में मदद करने हेतु बनाया गया है|

एक बार जब फार्म सृजित किए जाते है और उपरोक्त दल का उपयोग करके इसे एक्स एम एल में परिवर्तित किया जाए तो इन एक्स एम एल फाइलों को कम्प्यूटर से कॉपी करके इसे मोबाईल की आंतरिक मेमोरी (यदि ओ डी के कलेक्ट ऐप मोबाईल में इन्स्टॉल्ड है) में उपलब्ध 'ओ डी के' फोल्डर में स्थापित 'फार्मस' फोल्डर में पेस्ट किया जाता है| उसके बाद यह फार्म 'ओ डी के कलेक्ट' मोबाइल एप में दिखाई देता है| फार्मस का परीक्षण मोबाईल में डम्मी डाटा को लेते हुए या प्रायोगिक सर्वेक्षण करते हुए किया जाता है। परीक्षण के बाद यदि कोई सुधार आवश्यक रूप से किया जाना हो तो ओ डी के कलेक्ट ऐप में 'डिलिट सेवड फार्म' आप्शन का उपयोग करते हुए ओरिजिनल ब्लैंक फार्म एवं संकलित डेटा को डिलिट किया जाता है और मोबाईल में रिवाईजड फार्म को लिया जाता है और उसी समान रूप से इसका परीक्षण किया जाता है। कई बार परीक्षणों और अनुसंधान टीम की संतुष्टि के बाद ई-मेल द्वारा एक्स एम एल फार्म को सी आई सी टी टीम को भेजा जाता है ताकि वे इसे एग्रीगेट सर्वर पर अपलोड कर सके जिसे बाद में वास्तविक उपयोग हेतु मोबाईल्स में डाऊनलोड किया जा सके|

ओडीके सर्वर से, डेटा संकलनकर्ता या क्षेत्र जांचकर्ता संबंधित अध्ययनों के फार्म को डेटा कलेक्टर्स क्रेडेन्शियल का उपयोग करते हुए डाऊनलोड करते है और ऐप में 'गेट ब्लान्क फार्म' कार्य प्राप्त करते है| डेटा संकलन के बाद वे मोबाईल से एग्रिगेट तक डेटा भेज सकते है| सर्वेक्षण के दौरान इंटरनेट संयोजकता या मोबाईल नेटवर्क की जरुरत नहीं है और मोबाईल में चार्ज को बचाने के लिए इसे एरोप्लेन मोड पर भी रखा जा सकता है| सर्वर कंप्यूटर में डाटा को भेजने के दौरान इंटरनेट संयोजकता की आवश्यकता है|

अनुसंधान अध्ययनों या परियोजनाओं के डेटा को अनुसंधान संयोजक द्वारा यथासमय आधार पर समेकित रुप में सी आई सी टी से लिया जा सकता है| इस डाटा को सी आई सी टी टीम द्वारा सी एस वी फाईल के रुप में 'ओ डी के ब्रीफकेस 'युटिलिटि का उपयोग करते हुए डाऊनलोड किया गया है जिसमें प्रतिक्रियाये और मीडिया' फोल्डर पाया जाता है और इसके अंतर्गत फोटोग्राफ / मीडिया निहित होते है|

इस डाटा का उपयोग अनुसंधान टीमों द्वारा विभिन्न सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर की मदद से सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु किया जाता है| इस समान डाटा का उपयोग जीआईएस वातावरण में उपयोग किया जा सकता है तथा ओपन सोर्स क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर या किसी अन्य वाणिज्यिक सॉफ्टवेयर का उपयोग तब किया जा सकता है जब सर्वेक्षण फार्म में एक प्रश्न को शामिल और 'लोकेशन' के रूप में सर्वेक्षण के दौरान प्राप्त किया गया हो । चित्र 2 एनआईआरडीपीआर में ओडीके कार्य गति को दर्शाता है ।

ओडीके में भाषा स्थानीयकरण

ओपन स्रोत, परियोजना के विकास चक्र के सभी क्षेत्रों में सम्मिलित होने हेतु उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्रता प्रदान करता है| भाषा स्थानीयकरण में सम्मिलित होने के लिए उपयोगकर्ता को एक अवसर प्रदान करता है| ओडीके इंटरफेस को सरकारी ऑनलाईन ट्रांसिफेक्स (https://www.transfer.com) भाषा स्थानीयकरण प्लेटफार्म का उपयोग करते हुए एनआईआरडीपीआर में हिन्दी भाषा में भी अनुदित किया गया है|

ओडीके इंटरफेस, सर्वेक्षण फार्म एवं विभिन्न भाषाओं में मोबाईल में सर्वेक्षण प्रतिक्रियाओं को लिखने और ट्रांसलिटरेशन के लिए 'गूगल ट्रांसलेट एवं गूगल इनपुट टूल्स' का उपयोग किया जाता है|

Screenshot of ODK collect App

चुनौतियाँ

अनुसंधान टीम में कार्यगति पर अधिक ज्ञान होने की आवश्यकता होती है| वर्तमान में ओडीके के करेंट वर्शन की कमी होने के कारण डेट व्यूवर एवं उपर्युक्त अधिकारों को अनुसंधान टीम को प्रदान नहीं किया गया है और वे इसे केवल इकट्ठा कर सकते है और चित्र २ में दर्शाए अनुसार डेटा को सर्वर में भेज सकते है|

यह भी आशा की गई है कि भविष्य में ओडीके टूल सूट के नवीनतम वर्शन का उपयोग करते हुए उपर्युक्त कमी को कम किया जा सकता है| समर्पित एवं उपयुक्त स्टॉफ जिन्हें डेटाबेस एवं प्रोग्रामिंग का ज्ञान है वे आवश्यकतानुसार टूल को समाने में सहायक हो सकते है| यही विशेषज्ञ जिन्हें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एवं डाटा प्रबंधन का उचित ज्ञान के साथ फार्मो को तैयार करते हुए तथा अनुसंधान टीम और जांचकर्ताओं को टूल के उपयोग पर प्रशिक्षण देते हुए अनुसंधान स्टॉफ को अतिरिक्त समर्थन दे सकते है|

निष्कर्ष

विकासशील देशों के संसाधन बाधक वातावरण में डेटा का संकलन एवं प्रबंधन एक महत्वपूर्ण पहलू है| इन परिस्थितियों में सरल, तत्काल संदर्भ हेतु, स्केलेबल, मुफ्त और ओपन स्रोत टूल ग्रामीण विकास क्षेत्र और विकासशील देशों के लिए एक वरदान है| एनआईआरडीपीआर जैसे संगठनों जो विकास क्षेत्र में महत्वपूर्ण और अग्रणी भूमिका निभाते है वे ऐसी प्रौद्योगिकी का उपयोग कर रहे है और भारत तथा विकासशील देशों में संबंधित संगठनों के लिए ऐसे ज्ञान का प्रचार-प्रसार कर रहे है|

श्री एच. के. सोलंकी
सहायक प्रोफेसर
सी गार्ड, एनआईआरडीपीआर
कवरपेज डिजाईन : **श्री वी. जी. भट्ट**

पीएमएवाई - जी : किशनगंज, बिहार से एक सफल कहानी

किशनगंज, बिहार में पीएमएवाई – जी के तहत नव निर्मित मकान के सामने खडे लाभार्थी

किसी की आजीविका की पूर्ति के लिए एक पक्का और मजबूत मकान निश्चित रुप से महत्वपूर्ण और मूल आवश्यकता है| उचित चारदीवारी और छत वाला मकान सामाजिक प्रतिष्ठा और समाज में परिवार के लिए आर्थिक सुरक्षा का भाव उत्पन्न करता है| इसके अलावा, यह मालिक के व्यक्तित्व में सामाजिक बदलाव लाता है और सामाजिक वातावरण में समृद्धि के लिए मदद करता है । व्यक्ति के सैद्धान्तिक आवश्यकताओं को पूरा करने और ग्रामीण परिवेश की अभिवृद्धि के लिए 'प्रधानमंत्री आवास योजना' नामक योजना को लागू किया गया|

उपलब्धि विशेष क्यों है ?

उपलब्धि विशेष है क्योंकि, जन संग्रहण आंदोलन को सृजित करते हुए सकारात्मक सामाजिक एवं अभिव्यवहार बदलाव लाने के लिए यह समग्र दृष्टिगत मॉडल के कार्यान्वयन का एक सटिक उदाहरण है| भूवैज्ञानिक, मौसमी विज्ञान, स्थलाकृति, समाजार्थिक एवं भाषायी चुनौतियों का सामना करते हुए इन उपलब्धियों को हासिल किया गया|

किशनगंज, बिहार में पीएमएवाई – जी के तहत नव निर्मित मकान के समक्ष खडे लाभभोगी

किशनगंज जिला बिहार के पूर्वोत्तर क्षेत्र में बसा हुआ है और अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है तथा यह नेपाल की अंतरराष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित है| आजीविका की खोज में अधिकांश लोग स्थानांतरण कर रहे है और इसके चलते मंजूर ''आवास" के निर्माण में देरी हो रही है| भौगोलिक स्थितियों के चलते (नेपाल और पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित) यहां पर 'सूरजापूरी बोली' बोली जाती है जिसे समझने में और जागरूकता फैलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है|

यह जिला भारी वर्षा वाले क्षेत्र में आने के कारण हर वर्ष बाढ़ की चपेट में आता है । जिसके कारण स्थानीय लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी क्योंकि निर्मित घर बाढ़ में बह गए। लाभभोगी आर सी सी छत के बजाय घर का निर्माण टिन की छतों से निर्मित करना पसंद करते थे क्योंकि तूफ़ान के दौरान टूट कर बिखर जाते थे। इन सभी चुनौतियों के लिए एक समग्र मॉडल विकसित कर और योजना कार्यान्वयन को रिवर्स इंजीनियरिंग से निपटा गया। कार्यान्वयन टीम ने सभी चुनौतियों के लिए एक परिचय के साथ-साथ क्षमता निर्माण प्रशिक्षण भी प्राप्त किया । लगातार निगरानी और कमियों के मूल्यांकन ने सुधारों के लिए एक इनपुट प्रदान किया। लाभार्थियों और काम करने वाली टीम के बीच प्रेरणा को बनाए रखने के लिए चैंपियन की पहचान करना और उसे प्रोत्साहित करना आवश्यक था। पूरी टीम के प्रयासों के साथ-साथ स्थानीय भाषा पर जागरूकता फैलाने के लिए एक कठोर आईपीसी और आईईसी अभियान इस भव्य उपलब्धि की ओर ले जाता है।

पीएमएवाई-जी की आवश्यकता

पक्का घर एक परिवार के लिए पूर्वपेक्षित आवश्यकता है जिसमे वे वास करते है और सुरक्षित महसूस करते है । छत पर निर्मित घर प्राकृतिक आपदा से परिवार की सुरक्षा के साथ-साथ किसी भी सामाजिक चिंता से भी सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। ग्रामीण परिदृश्य में, आर्थिक कारक किसी भी परिवार को "पक्का आवास'' के निर्माण में बाधा बनता है। घर के निर्माण के लिए वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होने के कारण इंदिरा आवास योजना के माध्यम से प्रदान की गई प्रोत्साहन निधि से घर को पूरा करना मुश्किल हो गया । इसी अवधारणा को ध्यान में रखते हुए और "2022 तक सभी के लिए घर" का मिशन हासिल करने के लिए वर्ष 2016 -17 में पीएमएवाई-जी अस्तित्व में आया।

समय पर मकानों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू की गई

नियत समय अवधि के भीतर घरों के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए, आवास अधिकारियों को जिम्मेदारी से काम करने और लाभार्थी को आवंटित मकानों के निर्माण को पूरा करना आवश्यक था। निर्धारित समय सीमा के भीतर घर को पूरा करने के लिए लाभार्थी और आवास अधिकारी दोनों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रावधान किए गए । आवास पदाधिकारी की निगरानी और लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) इकाइयों के समयबद्ध निर्माण को प्रेरित करने के लिए जिला द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए:

- जिला नियंत्रण कक्ष के माध्यम से उनकी पंचायत में आवास कार्यकर्ता की उपस्थिति की निगरानी/यादृच्छिक निरीक्षण
- आवास कार्यकर्ता द्वारा की गई गतिविधियों की दैनिक समीक्षा
- घर-घर दौरा/टेलीफोन के माध्यम से लाभार्थी को प्रेरणा देना और मकानों के पूरा होने में उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी भी कठिनाइयों का समाधान करना

किशनगंज, बिहार में पीएमएवाई – जी के तहत नव निर्मित मकान के समक्ष खडे लाभभोगी

- वाट्स ऐप समूह के माध्यम से आवास कार्यकर्ता की सख्त निगरानी और उनके स्थान / प्रारम्भ किये गए कार्य का यादृच्छिक निरीक्षण
- बी डी ओ और आवास श्रमिकों के साथ पी एम ए वाई –जी की प्रगति पर साप्ताहिक समीक्षा बैठक
- बिचौलियों पर सख्ती। ब्लॉक / पंचायत और वार्ड स्तर पर लाभार्थियों के साथ बैठक
- आवास अधिकारियों को प्रोत्साहन देने के प्रावधान किए गए
- पूरा करने वाले उन लाभार्थियों को प्रोत्साहन देने का प्रावधान जिन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर मकान बनाए है
- स्थापना दिवस, स्वतंत्रता दिन, गणतंत्र दिवस इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान लाभार्थियों और आवास अधिकारियों का सत्कार
- जागरूकता, अभियान और स्थानीय भाषाओं में पैम्फलेट को लाभार्थियों में वितरित किया गया और उनके ज्ञानसंवर्धन को सुनिश्चित किया गया
- अन्य ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारियों जैसे- पीआरआई पदाधिकारियों, पीडीएस डीलर, राजस्व अधिकारियों के समावेश को सुनिश्चित किया गया ताकि मकान पूरा करने के लिए प्रत्येक लाभार्थी की निगरानी की जा सके।
- आवास ऐप की निगरानी, निरीक्षण ऐप को सुनिश्चित किया गया
- क्षेत्र में आवास अधिकारियों के गतिविधियों की निगरानी के लिए विभिन्न आईटी उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया गया

सीएसपी मॉडरेटर या किसी अन्य मध्यवर्ती व्यक्ति से किसी भी परेशानी से निपटने के लिए लाभार्थी को उनके खाते में आवंटित राशि की तुरंत सूचना देने के लिए सभी आवास सहायकों को एक सख्त निर्देश दिए गए।

जीत...

पी एम ए वाई – जी के तहत सभी परिवारों को एक पक्का आवास आवंटित किया जाता है, जो परिवार के लिए जीवन की गुणवत्ता में सुधार करता है। यह परिवार के भीतर आत्मविश्वास और गर्व की भावना को प्रज्वलित करता है और आने वाली पीढ़ी के शिक्षा स्तर में भी सुधार करता है। यह योजना महिला सशक्तीकरण की दिशा में

Heedlessness of the beneficiary	Issued White and Red notice. Ensured visit of awaas functionaries everyday at their doorstep
Lack of awareness of the beneficiary	Sensitisation workshop for the beneficiaries. Awakening them about disciplinary action against them as per the rule, if they failed to construct houses after receiving government assistance
Non-availability of trained mason	Training camp of required numbers of labours and masons in house construction through Labour Super-intendent and RSETTI (Rural Self Employment Training Institutes) was organised. All trained mason were duly registered at labour department after certification so that they can be easily identified and tagged with the respective block as per necessity
Doubt about size of house	The beneficiaries were guided to construct the house within 25 Sq. Mt. area to ensure the timely com-pletion of the awaas
Dispute between family members	The BDO and CO commenced a meaningful resolution of any ongoing domestic dispute by going into the panchayat himself
Lack of construction material	Support to old and disabled beneficiaries. The local brick manufacturers and vendors were asked to ar-range the construction material in bulk for facilitation
	Plan for unified availability of construction material
Heavy rainfall and flood-prone area	The beneficiaries were guided to construct the house on a raised plinth to avoid the effect of flood wa-ter
Cyclone prone area	To ensure the house remains robust even after cyclones, a solid RCC roof was promoted so that the houses remain unaffected from the cyclonic winds
Seismic zone V	An earthquake resistant design was finalised. A designated team worked throughout to educate the peo-ple of an earthquake resistant design. A vigilante team including BDO and CO checked the implementa-tion of the correct construction design.

Issues and action taken in the execution of yojana

एक महत्वपूर्ण पहल है। पी एम ए वाई – जी की प्रबंधन सूचना प्रणाली सभी के लिए खुला है। कोई भी किसी भी जिले / ब्लॉक / पंचायत की किसी भी रिपोर्ट और प्रगति को बिना किसी बंधन के प्राप्त कर सकता है। यह अधिक पारदर्शी और सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित करता है।

अधिकांश लाभार्थी उनके घर का निर्माण करने के लिए अपेक्षित सामग्रियों के भुगतान के लिए आर्थिक रूप से सज्जित नहीं हैं। स्थानीय स्तर के जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, युवा और विशिष्ट लोग समय सीमा के भीतर अपने घरों को पूरा करने के लिए अपने सामाजिक कार्य के लिए प्रेरित और जुटे हुए थे।

किशनगंज जिला, राज्य के सभी जिलों से हटकर एक अलग भूवैज्ञानिक और सामाजिक-आर्थिक स्थिति लिए हुए है। यह जिला राज्य के सबसे बाहरी छोर पर है और नेपाल तथा पश्चिम बंगाल के साथ सीमाओं को साझा करने के कारण किसी भी विकास योजना के कार्यान्वयन में कई चुनौतियां पैदा होती हैं। अब, समयबद्ध तरीके से पीएमएजीवाई-जी के तहत मंजूर किए गए मकानों को पूरा करना स्वयं एक भगीरथ कार्य था। काम को जमीनी स्तर से ही शुरू करने की जरूरत है। स्वीकृत राशि का एक अनजान लाभार्थी, लाभार्थी द्वारा गृह क्षेत्र का संवर्द्धन करने से स्वीकृत राशि का ह्रास, रोटी कमाने वाले की अनुपलब्धता, किसी पारिवारिक विवाद, मौसम संबंधी स्थिति आदि कुछ कारण है जिसे किशनगंज में पीएमएवाई –जी के कार्यान्वयन के दौरान कुछ चुनौतियां देखी गई थीं। आवास कार्यकर्ताओं और ग्रामीण क्षेत्र में आवास के निर्माण की सुविधा के लिए राजमिस्त्री और मजदूरों का क्षमता निर्माण के साथ स्वीकृत लाभार्थी की दैनिक प्रेरणा और कठोर आई ई सी और आईपीसी के साथ जमीनी कार्य शुरू हुआ। आवास कार्यकर्ता की नियमितता और आवास के निर्माण में प्रगति की निगरानी के लिए, जिला नियंत्रण कक्ष से लाभार्थी के साथ दैनिक अनुवर्ती कार्रवाई आयोजित की गई। इसने वास्तविक जमीनी हकीकत बताई जिसका विश्लेषण योजना के कार्यान्वयन को योजना के अनुसार करने के लिए किया गया था। बीडीओ और आवास कर्मचारियों के साथ एक नियमित मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई जिससे प्रगति को अद्यतन करने में मदद मिली और पूर्णता के लिए अनुभव किये गए मुद्दों को भी ऊपर लाया और उन्हें अत्यंत प्राथमिकता के आधार पर हल किया गया।

एक साल पहले, यह एक मुश्किल काम था, लेकिन टीम के समर्पण और जिला सेल द्वारा निरंतर निगरानी के साथ इस मील के पत्थर को हासिल किया गया है। पक्का आवास हर व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता है और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि हम लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में सहयोग कर सकते हैं।

औपचारिक निगरानी से जिले का 96 प्रतिशत कार्य पूरा हुआ है।

यशपाल मीणा (आई ए एस)
उप विकास आयुक्त, किशनगंज, बिहार

एशिया –पैसिफिक देशों के लिए जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण विषयक संगोष्ठी

पहली पंक्ति में बाएं से: श्री टेविता जी. बोसिवाका तेजिनावुलाऊ, महानिदेशक सिर्डाप; श्रीमती राधिका रस्तोगी, आई ए एस, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर; श्रीमती लीना जोहरी, आई ए एस, संयुक्त सचिव, एम ओ आर डी; डॉ डब्ल्यु आर रेड्डी, आई ए एस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्री सलेहुद्दीन अहमद, बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के पूर्व गवर्नर बांग्लादेश; श्री रविशंकर, आई एफ एस, (सेवानिवृत्त); श्री मेलेती रैमुरिया बैनिमारमा, अंतिम अध्यक्ष, ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए स्थायी सचिव, फ़िजी; श्री एंग .वासिफ्फी हस्सन एल श्रीहीन, महासचिव आर्ड़ो; डॉ पी शिवराम, प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष, सी आर आई, (दूसरी पंक्ति बाएं से प्रथम): डॉ आर रमेश,एसोसिएट प्रोफ़ेसर,सी आर आई (दूसरी पंक्ति दायें से पहले) एवं अन्य प्रतिनिधियाँ

जलवायु परिवर्तन इस समय का परिभाषित मुद्दा है और दुनिया पर एक निर्णायक क्षण है । मौसम के बदलाव से, खाद्य उत्पादन से लेकर बढ़ते समुद्री स्तरों तक जो खतरा है वह विनाशकारी बाढ़ के जोखिम को बढ़ाता है, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव वास्तव में वैश्विक और पैमाने में अभूतपूर्व हैं। तत्काल सख्त कार्रवाई के बिना, भविष्य में इन प्रभावों का अभिग्रहण करना मुश्किल और महंगा होगा।

उपर्युक्त चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने "सिर्डाप सदस्य देशों में जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण" पर एक संगोष्ठी और अपने परिसर हैदराबाद में 25 और 26 जून, 2019 को 34 वीं सिर्डाप तकनीकी समिति की बैठक का आयोजन किया और उन उपायों पर चर्चा की जो वैश्विक जलवायु परिवर्तनशीलता और परिवर्तन को कम करने में मदद कर सकते हैं। इसके बाद, 27 और 28 जून, 2019 को सिर्डाप तकनीकी समिति की बैठक हुई।

यह तीसरी बार है जब भारत सिर्डाप तकनीकी समिति की बैठक आयोजित कर रहा है और एनआईआरडीपीआर द्वारा यह पहली बार आयोजित किया जा रहा है । पिछली तकनीकी समिति की बैठक फिजी में आयोजित की गई थी। एशिया और पैसिफिक के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास केंद्र (सिर्डाप) एशिया और पैसिफिक क्षेत्र में 15 देशों के सदस्यों के साथ बांग्लादेशी क्षेत्रीय, अंतर-सरकारी और स्वायत्त संगठन है। अनुकूलन के लिए हरित रोजगार, हरित ऊर्जा और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करके जीवाश्म तेल की खपत में कमी सहित जलवायु परिवर्तन और न्यूनीकरण रणनीतियों पर नेटवर्क को साझा करने, चर्चा करने और विस्तार करने की आवश्यकता है

इस अवसर के दौरान साझा किए गए संदेश को डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस , महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने पढकर सुनाया कि माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ग्रामीण विकास, कृषि किसान कल्याण और पंचायती राज मंत्री, भारत सरकार ने कहा, "मुझे यह जानकर खुशी है कि तकनीकी समिति भारत में तीसरी बार बैठक कर रही है और 14 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं । सिर्डाप सदस्य देशों में जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण पर संगोष्ठी सही समय पर की जा रही है। हम, सिर्डाप देशों के सदस्य, जिनकी संयुक्त जनसंख्या 2,549 मिलियन है, वैश्विक जनसंख्या का 34 प्रतिशत है। हम, अपनी गतिविधियों के साथ, सिर्डाप सदस्य देशों में 1,539 मिलियन की संयुक्त ग्रामीण आबादी को प्रभावित करेंगे।, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी देशों के साथ शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण और पारस्परिक रूप से सहायक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है। भारत ने तकनीकी और वित्तीय सहायता के माध्यम से सिर्डाप की गतिविधियों का समर्थन करने का पूरा प्रयास किया है।"

संगोष्ठी को संबोधित करते हुए श्री तेविटा जी. बोसियावाका टैगिनवलाउ, महानिदेशक सिर्डाप, बांग्लादेश ने कहा, " भारत सिर्डाप का एक संस्थापक सदस्य है, जिसे 1979 में स्थापित किया गया था तब से, भारत अपने सदस्य देशों के बीच और इसके परिधि के बाहर सिर्डाप की प्रासंगिकता और दृश्यता सुनिश्चित करने में एक प्रमुख स्तंभ रहा है। अब तक, यह 95,000 अमरीकी डालर के उच्चतम सदस्यता योगदान का भुगतान करता है।"

जलवायु परिवर्तन के "झटकों" को झेलने के लिए सामाजिक लचीलापन और अनुकूलनशीलता महत्वपूर्ण है। न्यूनीकरण उपायों के साथ, फोकस ग्रामीण अनुकूलनशीलता और आजीविका पर होना चाहिए। विकासशील देशों में लगभग

चल रहा सिर्डाप सत्र

महानिदेशक एवं उपमहानिदेशक, एनआईआरडीपीआर के साथ प्रतिनिधिगण

सिर्डाप तकनीकी समिति के दौरान आरटीपी, सीआईए टी द्वारा प्रकाशित 'उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए मास्टरपीस का निर्माण' कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन करते हुए प्रतिनिधिगण

70 प्रतिशत जनसँख्या को ग्रामीण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये लोग जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित होते हैं क्योंकि वे प्रकृति के सबसे करीब होते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की गड़बड़ी जैसे कि पानी की कमी और बार-बार सूखा, राज्य में लोगों द्वारा अनुभव किये किए जाने वाले कुछ "झटकें" हैं। भारत का प्रमुख ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, एमजीएनआरईजीएस, रोजगार प्रदान करते समय जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे शमन उपायों को प्रदान करके इस तरह के प्रभाव से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) के एक प्रतिनिधि, श्री नूर अहमद खोड़ा-केर ने अनुकूलित करने की आवश्यकता पर भी जोर देते हुए कहा, "जलवायु परिवर्तन लंबे समय से हो रहा है और परिवर्तन के लिए अनुकूल होना महत्वपूर्ण है। दुनिया भर में किसानों द्वारा जलवायु-स्मार्ट तकनीकों का विकास किया जा रहा है। "श्री तेविता जी. बोसिवाका टैगिनवुल्ला, महानिदेशक ने कहा " हम यहाँ एक दूसरे की श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने के लिए एकत्रित हुए है" ।

कुछ सदस्यों के प्रमुख पहल में सम्मिलित है:

1. फिजी "ग्रीन बॉन्ड्स" के साथ उभर रहा है। फ़िजी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण का समर्थन करने के लिए 100 मिलियन फ़िज़ियन डॉलर, या यूएस $ 50 मिलियन जुटाने के लिए, संप्रभु ग्रीन बांड जारी करने वाला पहला उभरता हुआ बाज़ार है।

ईसीएएल फिजी की एक और पहल है। पर्यावरण और जलवायु अनुकूलन लेवी (ईसीएएल), निर्धारित सेवाओं, वस्तुओं और आय पर करों का एक संघ, फिजी में प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करता है.

2. इंडोनेशिया ने ' डिजास्टर रेसिलिएंट विलेज 'नामक रणनीतियों को प्रस्तुत किया । यह कार्यक्रम जोखिम मानचित्रण और विश्लेषण, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और स्वयंसेवी विकास की शुरूआत के माध्यम से आपदाओं के लिए ग्रामीण स्तर पर निर्माण व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था।

3. वियतनाम ने फसल की पद्धति में और शेड्यूल में व्यापक बदलाव किया है, जलवायु परिवर्तन की स्थिति के प्रति सहिष्णुता और अच्छी कृषि पद्धतियों जैसे कि उर्वरक और कीटनाशक की बचत के उपाय, पानी की बचत के उपाय, किसानों को प्रारंभिक चेतावनी, जलवायु सूचना का विकास आदि के लिए जलवायु व्यवहार्य बीज किस्मों का विकास किया है।

जलवायु परिवर्तन के न्यूनीकरण हेतु भारत के संकल्प के भाग के रूप में सरकार ग्रीन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रही है। उदा के लिए भारत ने नयी तकनोलोजी सहित पुनः चक्रीय प्लास्टिक का उपयोग करते हुए 31,000 की. मी .सड़क को पूर्ण किया हैं । इन सडको को बिछाने हेतु भारत ने 5,120 टन के पुनः चक्रीय प्लास्टिक का उपयोग किया है। इस प्रकार 7,680 टन तक कार्बन धुंए को उत्पन्न होने से बचाया है । डॉ डब्ल्यु .आर. रेड्डी, आई ए एस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने टी सी बैठक की अध्यक्षता की तथा श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। प्रोफ़ेसर ज्योतिस सत्यपालन एवं प्रोफ़ेसर रविन्द्र एस. गवली, एनआईआरडीपीआर ने "भारत में जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण "पर पेपर प्रस्तुत किया । इस संगोष्ठी का समन्वय डॉ पी शिवराम ,प्रोफ़ेसर एवं अध्यक्ष सी आर आई ने किया ।

मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी के सहयोग से विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन पर क्षमता निर्माण

बाएं से कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पक्ति में बांए से चौथे), श्रीमती वी. ऊषा रानी आईएएस, महानिदेशक, मैनेज (पहली पक्ति में बांए से पांचवें) डॉ. जी. वी. राजु (पहली पंक्ति मे बांए से पहले)

मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, (एनआईआरडीपीआर) तथा राष्ट्रीय कृषि विस्तार प्रबंधन संस्थान (मैनेज) एनआईआरडीपीआर में 17-22 जून, 2019 के दौरान "विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन पर क्षमता निर्माण" पर प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला के प्रथम चरण को आयोजित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और कृषि विकास क्षेत्रों से संबंधित मूल्यांकन कार्मिकों को वृद्धित ज्ञान और अनुश्रवण और मूल्यांकन पर उपयुक्त कौशलों को प्रदान करना तथा मूल्यांकन सिद्धान्तों, मॉडल और तकनीकों; विस्तार कार्यक्रम की सफलता के संकेतकों को शिनाख्त करने में कौशलों का विकास एवं प्रदर्शन; स्वतंत्र रूप से परियोजना मूल्यांकन की योजना; डेटा संकलन और विश्लेषण तकनीक और उपयुक्त पद्धतियों के चयन को सम्मिलित करना (मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों); प्रासंगिक ग्रामीण/कृषि विकास कार्यक्रमों/परियोजना की मूल्यांकन परियोजना का क्रियान्वयन; डेटा संकलन में कौशलों का विकास, डेटा परिष्कार एवं डेटा विश्लेषण, डेटा की व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट अभिलेखन एवं हितधारकों के साथ निष्कर्षों को साझा करने की समझ में सुधार पर बल देना है।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए प्रायोगिक अनुभव प्रदान करने हेतु इस कार्यक्रम को तैयार किया गया। प्राथमिक परियोजना इस प्रकार है:-

(i) योजना हेतु स्थानीय क्षमता का निर्माण, कृषि और ग्रामीण विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु रिपोर्ट लेखन और आयोजन;

(ii) कार्यान्वयन एजेन्सियों और बाह्य दर्शकों के साथ मूल्यांकन परियोजना निष्कर्षों को साझा करना;

(iii) कृषि और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन क्षमता निर्माण हेतु उपयुक्त प्रशिक्षण माड्यूल्स तैयार करना; क्रियाकलाप के मुख्य घटक निम्नलिखित है :-

1. दो एकीकृत कार्यशालाओं का आयोजन (मूल्यांकन प्रस्ताव विकास सहित मूल्यांकन प्रशिक्षण, डाटा संकलन, डेटा विश्लेषण तकनीक एवं मूल्यांकन मामला अध्ययन रिपोर्टिंग) जिसमें सावधानपूर्वक ग्रामीण विकास एवं कृषि क्षेत्रों से प्रतिभागियों का चयन किया गया हो।
2. ई-मेल एवं वाट्सएप के माध्यम से मूल्यांकन परियोजना के कार्यान्वयन में प्रतिभागियों को समर्थन करना एवं इसे मामला अध्ययनों के रूप में प्रकाशित किया जाएगा और इन मामला अध्ययनों को मूल्यांकन प्रशिक्षण पुस्तिकाओं में समाविष्ट किया जाएगा।
3. कार्यान्वयन एजेन्सियों एवं बाह्य दर्शकों के साथ मूल्यांकन परियोजना निष्कर्षों को साझा करना।

यह परियोजना एकीकृत कार्यशालाओं के दो चरणों का उपयोग करती है जिसमें प्रतिभागियों से आशा की जाती है कि वे कार्यशालाओं के दौरान महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करें। प्रथम चरण (17-22 जून, 2019) कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों से ३२ विशेषज्ञों/संकाय को एनआईआरडीपीआर एवं मैनेज से छह दिवसीय अनुभव प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु नामित किया गया। इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास परियोजना का मूल्यांकन हेतु युक्तिसंगतता और उसके क्रियाकलाप तथा भावी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को सुधार करने हेतु मूल्यांकन निषकर्षो का उपयोग करना जिससे वे खाद्य सुरक्षा, संकल्पना और परियोजना प्रतिपादन के सिद्धान्त सहित परिवार आय और रोजगार को बढ़ाना, परियोजना मूल्यांकन, मूल्यांकन दृष्टिकोण एवं मॉडल्स, मूल्यांकन प्रक्रिया में चरण, मूल्यांकन में दर्शन और नीति, ग्रामीण और कृषि विकास एवं / खाद्य सुरक्षा कार्यक्रमों का सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रभावों का मूल्यांकन, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दृष्टिकोण, अनुसंधान प्रश्न या प्राक्कल्पना का उत्तम रीति से मूल्यांकन हेतु सूचकांको की शिनाख्त, नमूना संकल्पना, डेटा संकलन एवं डेटा को बढ़ा सके।

प्रथम चरण के अंत में प्रतिभागियों ने 3 2 मूल्यांकन योजनाओं को तैयार किया जो निष्कर्षों की प्रगति को जानने के लिए तथा निष्कर्षों के संवितरण में प्रभाविता तथा स्थानीय संगतता के कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में प्रभाव मूल्यांकन के लिए आवश्यक था। प्रतिभागीगण स्रोत व्यक्यिों के पर्यवेक्षण और सलाह के तहत छह माह की अवधि में मूल्यांकन हेतु अनुमोदित विस्तृत प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के बाद सौंपे गए कार्य को आगे ले जाऐंगे। कार्यशाला का दूसरा चरण मैनेज में फरवरी, 2020 के दूसरे सप्ताह में किए जाने का प्रस्ताव है । इस चरण के दौरान (दूसरी कार्यशाला) डेटा विश्लेषण (मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों) निष्कर्षों की व्याख्या एवं वैयक्तिक मूल्यांकन परियोजना निष्कर्षों की प्रस्तुति के बाद रिपोर्ट लेखन एवं निष्कर्षों की व्याख्या करना पर फोकस दिया जाएगा । स्रोत व्यक्तियों द्वारा अंतिम संशोधन के बाद इन रिपोर्टों को संबंधित संगठनों के साथ साझा किया जाएगा और प्रकाशन हेतु परियोजना वार्षिक रिपोर्ट में सम्मिलित किया जाएगा।

कार्यक्रम के प्रथम चरण का उद्घाटन डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आई ए एस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर एवं श्रीमती वी. ऊषा रानी, महानिदेशक, मैनेज, ने किया। डॉ. मुरारी सुवेदी, प्रोफेसर, मिशिगन स्टेट युनिवर्सिटी ने प्रशिक्षण में मुख्य भूमिका निभायी तथा प्रशिक्षण में डॉ. पी. वी. के. शशिधर, प्रोफेसर एवं निदेशक, विस्तार एवं विकास अध्ययन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय (ईग्नो) एवं डॉ. पी. सीतारमण शिवा कुमार, प्रमुख वैज्ञानिक, सेन्ट्रल ट्यूबर क्रॉप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट (आई सी ए आर – सी टी सी आर आई), डॉ. जी. वी. राजु, एनआईआरडीपीआर एवं सर्वानन्नु राज, मैनेज आदि अन्य स्रोत व्यक्तियों ने सहयोग दिया। डॉ. जी. वी. राजु प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, योजना, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन केन्द्र, एनआईआरडीपीआर ने कार्यक्रम का संयोजन किया।

एनआईआरडीपीआर ने मनाया अंतरराष्ट्रीय योग दिवस

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर योग करते हुए शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टॉफ, छात्र, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागी एवं अन्य कैम्पस निवासी

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद में डेढ़ घंटे का योग सत्र आयोजित करते हुए अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया इस सत्र को दि. 21 जून को संस्थान के स्पोर्टस कॉम्पलेक्स में सुबह 8.00 बजे से 9.30 बजे तक आयोजित किया गया जिसमें शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक स्टॉफ, उनके परिवार सदस्य, छात्र, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागी एवं कैम्पस निवासियों ने भाग लिया।

डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आई ए एस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर ने सत्र का उद्घाटन किया। अपने संक्षिप्त भाषण में उन्होंने कहा कि हमे योग करने हेतु समय देना चाहिए। यह एक प्राचीन पद्धति है जिसे बेहतर शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हेतु निरूपित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का आयोजन करते हुए सरकार हमें योग के बारे में अधिक सीखने का अवसर दे रही है और हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा।

महानिदेशक महोदय ने इच्छा जाहिर की कि स्टाफ और सदस्यों द्वारा संस्थान में आयोजित एक घंटे के नियमित योग सत्र का लाभ उठाना चाहिए । योग अनुदेशक श्री अनिल जी के नेतृत्व में सत्र का संचालन किया गया । डॉ. पी. शिवराम, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, आजीविका केन्द्र एवं मानव संसाधन विकास केन्द्र ने योग की उपयोगिता पर संक्षिप्त भाषण प्रस्तुत किया और शेष प्रतिभागियों के लिए विभिन्न आसनों को प्रदर्शित किया।

श्री अनिल जी और डॉ. पी. शिवराम के धन्यवाद ज्ञापन से कार्यक्रम समाप्त हुआ।

- सी डी सी पहल

पर्यावरण संरक्षण और मानव जिम्मेदारी

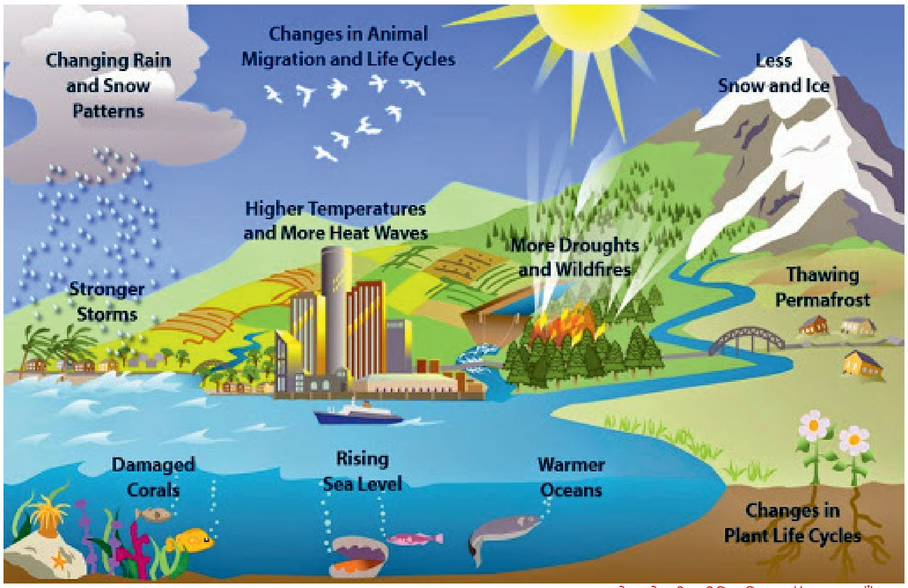

स्त्रोत: सेफ्टी इनीशिएटिव.ब्लॉगस्पाट.कॉम

पर्यावरण सब कुछ है (जीवित या निर्जीव) जो हमारे आसपास है और पृथ्वी पर रहने की हमारी क्षमता को प्रभावित करता है, जिसमें शारीरिक, रासायनिक और अन्य प्राकृतिक शक्तियां शामिल हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक है पारिस्थितिक कारक या पर्यावरण-कारक, अजैविक या जैविक, परिवेश का तापमान, सूर्य के प्रकाश की मात्रा और जल-मिट्टी का पीएच जिसमें जीव रहता है।

भोजन और पोषण, ऊर्जा, औषधि, आनुवांशिक संसाधन और विभिन्न प्रकार की सामग्री जो लोगों की शारीरिक भलाई और संस्कृति को बनाए रखने के लिए मूल है को प्रदान करने में प्रकृति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । प्रकृति, अपनी पारिस्थितिक और विकासवादी प्रक्रियाओं के माध्यम से, हवा की गुणवत्ता, ताजा पानी और मिट्टी को सुरक्षित करता है जिस पर मानवता निर्भर करती है, जलवायु को नियंत्रित करती है, कीट नियंत्रण प्रदान करती है और प्राकृतिक खतरों के प्रभाव को कम करती है। प्रकृति को मानवता (विनियमन), साथ ही सामग्री के सामान (आध्यात्मिक) और आध्यात्मिक प्रेरणा (गैर सामग्री) के लिए बुनियादी जीवन समर्थन प्रदान करते हुए जीवन की गुणवत्ता से संपन्न किया जाएगा। लोगों के लिए प्रकृति के अधिकांश योगदान ज्ञान, बुनियादी ढाँचा, वित्तीय पूंजी, प्रौद्योगिकी और उन्हें मध्यस्थ बनाने वाली संस्थानों जैसे मानव जनित परिसंपत्तियों के साथ जैव-भौतिकीय प्रक्रियाओं और पारिस्थितिक सहभागिता द्वारा सह-उत्पादित होता है।

जैविक विकासवादी परिवर्तनों को समझना और उन पर नजर रखना सूचित नीति निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण मानदंड है । स्थायी प्रबंधन रणनीतियों कमजोर प्रजातियों की रक्षा करने और अवांछित प्रजातियाँ (जैसे- खरपतवार, कीट या रोगजनक) के प्रभाव को कम करने के लिए विकासवादी ट्राजेक्टरीज को प्रभावित कर सकती हैं । भौगोलिक वितरण और कई प्रजातियों की संख्या में कमी से पता चलता है कि मानव-प्रेरित विलुप्त को कम करने के लिए विकासवादी अनुकूलन पर्याप्त नहीं है ।

मनुष्य पर्यावरण की सृजन और तबाही दोनों का कारण हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के तीव्र गति के माध्यम से मनुष्यों ने अपने पर्यावरण को अनगिनत तरीकों से और अभूतपूर्व पैमाने पर बदलने की शक्ति हासिल कर ली है। सुरक्षा और सुधार मानव पर्यावरण एक प्रमुख मुद्दा है जो दुनिया भर में लोगों की भलाई और आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। दुनिया के अधिकांश स्थलीय जंगली और घरेलू जैव विविधता स्वदेशी लोगों और स्थानीय समुदायों द्वारा पारंपरिक रूप से प्रबंधित, स्वामित्व, उपयोग या कब्जे वाले क्षेत्रों में होते हैं। सभी स्तरों पर प्रयासों के बावजूद, स्वदेशी भूमि पर प्रकृति कहीं और से कम तेजी से घट रही है।

पर्यावरण के लिए खतरा

पिछले 50 वर्षों के दौरान प्रकृति में वैश्विक परिवर्तन की दर मानव इतिहास में अभूतपूर्व है। सबसे बड़े वैश्विक प्रभाव के साथ प्रकृति में परिवर्तन के प्रत्यक्ष चालक है - भूमि और समुद्री उपयोग, जीवों के प्रत्यक्ष शोषण, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। इन पांच प्रत्यक्ष चालकों से उत्पादन और उपभोग पैटर्न, मानव जनसंख्या की गतिशीलता और प्रवृत्तियों सहित अंतर्निहित कारणों, व्यापार, तकनीकी नवाचार और वैश्विक शासन के ही परिणाम है ।

स्थलीय और मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में भूमि-उपयोग परिवर्तन का प्रकृति पर अपेक्षाकृत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसके बाद जानवरों, पौधों और अन्य जीवों का अधिक शोषण होता है। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में, मछली, शेलफिश और अन्य जीवों का शोषण, नदी के नेटवर्क से प्रदूषण, बुनियादी ढांचे के लिए तटीय विकास, समुद्र के उपयोग में परिवर्तन और जलीय कृषि अन्य कारण हैं। कृषि विस्तार और शहरीकरण भूमि-उपयोग परिवर्तन का सबसे व्यापक रूप है, बढ़ती आबादी और खपत से जुड़े बुनियादी ढांचे का अभूतपूर्व विस्तार ज्यादातर जंगलों, आर्द्रभूमि और घास के मैदानों की कीमत पर पड़ा है। मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र में, संयुक्त खतरों की एक श्रृंखला जिसमें भूमि-उपयोग परिवर्तन, जल निकासी, शोषण, प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन शामिल हैं, और आक्रमणकारी प्रजातियां आदि प्रचलित हैं।

पर्यावरण को प्रभावित करने वाले मानवजनित तत्व हैं –अतिखपत, अतिशोषण, प्रदूषण, वनों की कटाई, प्रौद्योगिकी, कृषि, निकास गैसों की उच्च मात्रा (CO_2, SO_2 और NH_3) जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनते है , वनों की कटाई, औद्योगीकरण और खनन, उद्योगों से रासायनिक अपशिष्ट जो बिना किसी परिष्कार के नदी प्रदूषण हेतु पास की धाराओं में सीधे बहाए जाते हैं और जलीय जीवन, परिवहन, अभूतपूर्व निर्माण, माध्यमिक प्रदूषक, विध्वंसक कृषि प्रथाओं, जनसंख्या विस्फोट, अनियोजित भूमि उपयोग नीतियों आदि को नुकसान पहुंचाते हैं।

उपर्युक्त मानवजनित कारक में पर्यावरणीय प्रभाव निम्नलिखित हैं जैसे जैवीय भौतिकीय वातावरण और पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन, जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरणीय गिरावट, मास जीवाश्म और

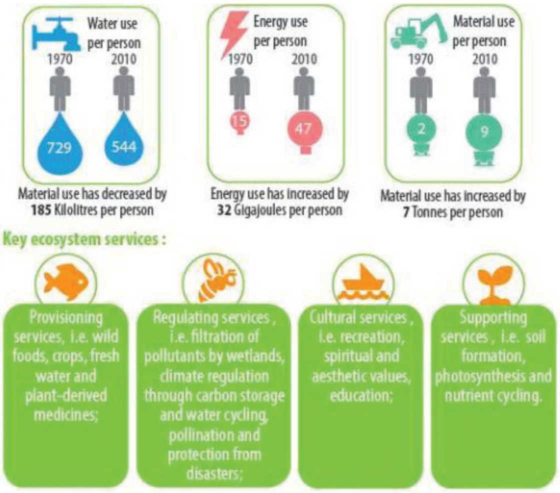

Source: Unenvironment.org

जैव विविधता की हानि, पारिस्थितिक संकट और पारिस्थितिक पतन आदि शामिल हैं । इनमें से, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता का नुकसान मानव जाति के लिए एक संभावित जोखिम है। यह अनुमान है कि है पिछले 40 वर्षों में 50 प्रतिशत से अधिक सभी वन्यजीवों नष्ट हो गए है। 2020 तक, दुनिया के 68 प्रतिशत वन्यजीव नष्ट हो जाएंगे। अमेरिका की नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज की प्रोसीडिंग्स में प्रकाशित एक अध्ययन में बताया गया है मानव सभ्यता के विकास से अब तक 83 फीसदी जंगली स्तनधारी, 80 फीसदी समुद्री स्तनधारी, 50 फीसदी पौधे और 15 फीसदी मछलियां लुप्त हो गई हैं। वर्तमान में, पशुधन मनुष्यों (36 प्रतिशत) और जंगली स्तनधारियों (4 प्रतिशत) द्वारा पृथ्वी पर सभी स्तनधारियों के बायोमास का 60 प्रतिशत बनता है। 2019 वैश्विक जैव विविधता आकलन के अनुसार जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतरसरकारी विज्ञान-नीति द्वारा, मानव सभ्यता ने पौधों और जानवरों की एक मिलियन प्रजातियों को विलुप्त होने के किनारे पर धकेल दिया है, जिनमें से कई अगले कुछ दशकों में लुप्त होने का अनुमान है।

जलवायु परिवर्तन एक प्रत्यक्ष चालक है जो प्रकृति और मानव कल्याण पर अन्य चालकों के प्रभाव को तेजी से बढ़ा रहा है। अनुमानित वार्मिंग २०१७ तक लगभग १.० डिग्री सेल्सियस है, जब पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में, पिछले ३० वर्षों में औसत तापमान ०.२ डिग्री सेल्सियस प्रति दशक बढ़ रहा है। पिछले ५० वर्षों में चरम घटनाओं और आग, बाढ़ और सूखे की बारम्बारिता और तीव्रता में वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक औसत समुद्री स्तर १९०० से १६ से २१ से.मी. बढ़ गया है। इन परिवर्तनों का जैव विविधता, प्रजातियों के वितरण, फेनोलॉजी, जनसंख्या गतिशीलता, सामुदायिक संरचना और पारिस्थितिकी तंत्र कार्य के कई पहलुओं पर व्यापक प्रभाव पड़ता है । अवलोकन संबंधी साक्ष्यों के अनुसार, प्रभाव समुद्री, स्थलीय और मीठे पानी के पारिस्थितिकी तंत्र में तेजी ला रहे हैं और पहले से ही कृषि, जलीय कृषि, मछली पालन और लोगो का प्रकृति के प्रति योगदान आदि प्रभावित हैं। 1980 के बाद से समुद्री प्लास्टिक प्रदूषण दस गुना बढ़ गया है, कम से कम 267 प्रजातियों को प्रभावित करता है, जिसमें 86 प्रतिशत समुद्री कछुए, 44 प्रतिशत समुद्री पक्षी और 43 प्रतिशत समुद्री स्तनधारी शामिल हैं। इस खाद्य श्रृंखला के माध्यम से मनुष्यों को प्रभावित कर सकते हैं।

मूल्यांकन किए गए जानवरों और पौधों के समूहों में औसतन लगभग 25 प्रतिशत प्रजातियों को खतरा है, लगभग दस लाख प्रजातियां पहले से ही विलुप्त होने का सामना कर रही हैं, दशकों के भीतर कई, जब तक कि जैव विविधता के नुकसान के ड्राइवरों की तीव्रता को कम करने के लिए कार्रवाई नहीं की जाती है। बिना ऐसे कार्रवाई, प्रजातियों के विलुप्त होने की वैश्विक दर में एक और तेजी आएगी, जो पिछले १० मिलियन वर्षों में औसतन पहले से कम से कम दस गुणा अधिक है।

भारत का जैव विविधता

भारत दुनिया के मेगा जैव विविधता वाले देशों में से एक है। इसमें दुनिया की ७ प्रतिशत से अधिक जैव विविधता पृथ्वी की सतह के 2.5 प्रतिशत पर है। इस विविधता ने भू-आकृतियों और जलवायु के व्यापक विविधता को जिम्मेदार ठहराया है परिणामस्वरूप उष्णकटिबंधीय से समशीतोष्ण और अल्पाइन से रेगिस्तान तक के निवास स्थान की रेंज अलग हैं । भारत में पौधों की प्रजातियों की संख्या 45,523 से अधिक होने का अनुमान है जो दुनिया के वनस्पतियों के लगभग 11.8 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें 17,500 से अधिक फूलों के पौधे शामिल हैं, जिनमें से 4,950 प्रजातियाँ (32 प्रतिशत) देश में आतंरिक हैं। भारत भी खेती वाले पौधों की उत्पत्ति में दुनिया के आठ केंद्रों में से एक है। भारत में अनाज और बाजरा की 51 प्रजातियां हैं, फलों की 104 प्रजातियां हैं, मसालों की 27 प्रजातियाँ, 55 प्रजातियाँ सब्जियों और दालों की 24 प्रजातियाँ फ़ाइबर फ़सलों की, 12 प्रजातियाँ मिट्टी के बीजों की, और चाय, कॉफ़ी, तम्बाकू और गन्ने के विभिन्न जंगली प्रजातियाँ हैं ।

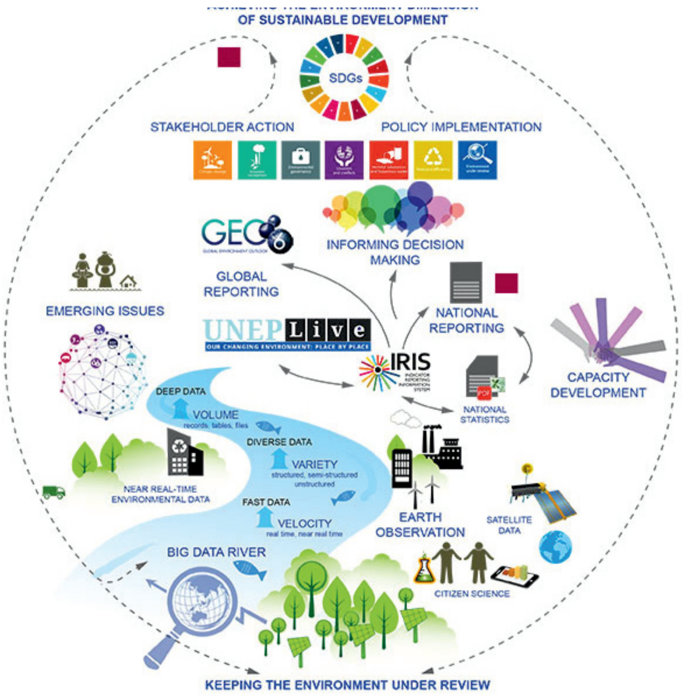

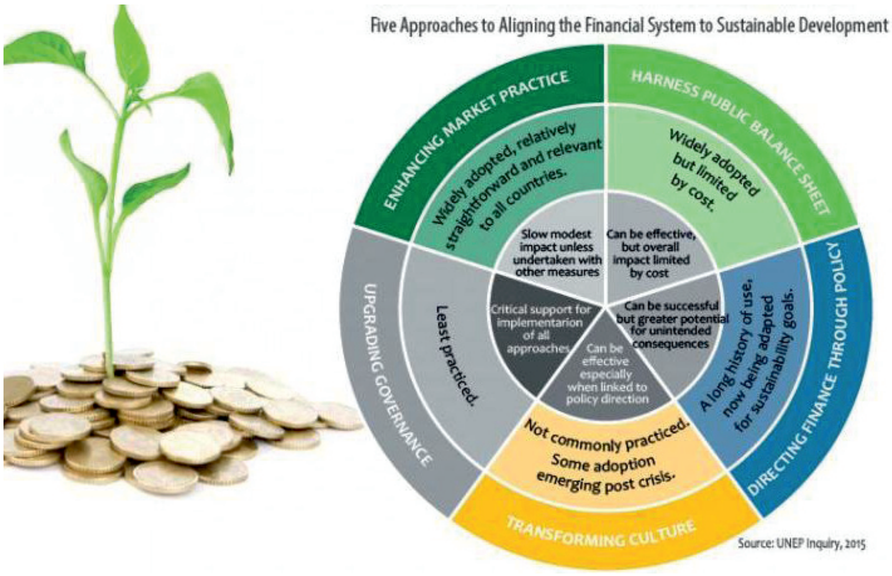

Source: Unenvironment.org

भारत का पशु धन भी उतना ही विविध है। पशु प्रजातियों की कुल संख्यों का अनुमान 91,307 है, जो दुनिया के जीवों का लगभग 7.46 प्रतिशत है। भारत की ज्ञात पशु विविधता में लगभग 8,61,696 कीड़े, 21,723 मछलियाँ, 240 उभयचर, 460 रेंगने वाले जीव, 1,232 पक्षी और 397 स्तनधारी शामिल हैं। इसमें लगभग 86,413 अकशेरुकी भी शामिल हैं। पशुओं को पालतू बनाने की प्राचीन प्रथा के परिणामस्वरूप भारत के विविध पशुधन, मुर्गी पालन और अन्य पशु नस्लें पैदा हुई हैं। भारत में पशुओं की 26 नस्लें, भेड़ की 40 नस्लें, बकरियों की 20 नस्लें, 8 नस्लें ऊंट, 6 नस्लें घोड़ों की, 2 नस्लें गधों की और 18 नस्लें मुर्गी पक्षियों की हैं।

भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ता आर्थिक क्षेत्र है और कुछ सबसे छोटे और सबसे गरीब और कुछ सबसे बड़े और सबसे अमीर का घर है हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण, समृद्ध जीवन शैली और भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर बढ़ते दबाव के कारण संसाधनों और सेवाओं की बढ़ती मांग क्षेत्र के विकास की स्थिरता को चुनौती दे रहे हैं।

हाल के अध्ययनों के अनुसार दुनिया भर में 92 प्रतिशत लोग स्वच्छ हवा में सांस नहीं लेते हैं और वायु प्रदूषण के चलते कल्याण लागत में हर साल $ 5 ट्रिलियन वैश्विक अर्थव्यवस्था की लागत होती है। वायु प्रदूषण के कारण, भूमिगत ओजोन प्रदूषण से 2030 तक प्रधान फसलों की पैदावार में 26 प्रतिशत की कमी आने की संभावना है।

भारत में पर्यावरण संरक्षण

संरक्षण की आवश्यकता और पर्यावरण का संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों का स्थायी उपयोग भारत के संवैधानिक ढांचे में और भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं में भी परिलक्षित होता है। संविधान वनों, झीलों, नदियों, और वन्य जीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक पर एक कर्तव्य डालता है और जीवित प्राणियों के लिए दया का भाव रखता है। इसके अलावा, भारत का संविधान कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार और वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत की आजादी से पहले भी कई कानून मौजूद हैं। हालांकि, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद ही एक अच्छी तरह से विकसित ढांचा उभरा। पर्यावरण नीति के लिए राष्ट्रीय परिषद और पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की देखभाल के लिए एक नियामक संस्था की स्थापना के लिए 1972 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भीतर योजना बनाई गई थी। यह परिषद बाद में 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय के रूप से पूर्णत: विकसित हुआ और बाद में एमओईएफ और सीसी में बदल गया। यह विनियमन के लिए और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु और उसी के लिए कानूनी और नियामक ढांचा तैयार करने हेतु देश में शीर्ष प्रशासनिक निकाय है। 1970 के दशक के बाद से, कई पर्यावरण विधानों को रखा गया है। एमओईएफ और सीसी और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीसीबी) मिलकर सेक्टर का नियामक और प्रशासनिक कोर बनाते हैं।

पर्यावरण सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण कानून निम्न रूप में इस प्रकार हैं:

- वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- वन संरक्षण अधिनियम, 1980
- वायु (रोकथाम और प्रदूषण का नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986
- जैविक विविधता अधिनियम, 2002
- राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010
- अति खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन विनियम। खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के कुछ नियम इस प्रकार हैं:
    - बायोमेडिकल वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 1998
    - नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2000
    - खतरनाक अपशिष्ट (प्रबंधन, हैंडलिंग और बाउन्ड्री) नियम, 2008
    - बैटरीज (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2001
    - ई-वेस्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम, 2011
    - सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991
    - तटीय विनियमन क्षेत्र (सी आर जेड़) अधिसूचना

भावी कार्य

प्राकृतिक संसाधनों के कुशल और सतत उपयोग से पर्यावरण पर क्षरण कम होता है और लोगों को सामाजिक और आर्थिक लाभ होता है। यह पर्यावरणीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव और प्रभावशाली दृष्टिकोण प्रदान करता है। उपर्युक्त मुद्दों को दूर करने के लिए आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण सहित सतत विकास का एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के कार्यान्वयन के माध्यम से उपरोक्त मुद्दों का समाधान किया जा सके।

राष्ट्रीय और स्थानीय अधिकारियों, सिविल सोसाईटीज , संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं, वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय निकायों और नेटवर्कों ,अनुसंधान संस्थाओं और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग और समन्वय की आवश्यकता हैं । आगे की क्षति को रोकने और पर्यावरण की सुरक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) और कार्बन क्रेडिट को सृजित किया जा रहा है।

मानव पोषण और प्रकृति का संरक्षण और स्थायी उपयोग को बढ़ाना प्रशंसनीय कार्य है और एक दूसरे के साथ अन्योन्याश्रित लक्ष्य हैं जिसे स्थायी कृषि, जलीय कृषि और पशुधन प्रणालियों, देशी प्रजातियों, किस्मों, नस्लों और निवासों की सुरक्षा और पारिस्थितिक बहाली के माध्यम से बढाया जा सकता हैं। भूमि आधारित जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गतिविधियाँ संरक्षण लक्ष्यों के समर्थन में प्रभावी हो सकती हैं। हालांकि, बड़े पैमाने पर जैविक ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और गैर-वन पारिस्थितिकी प्रणालियों के वनीकरण के कारण जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों पर नकारात्मक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। सुरक्षा उपायों के साथ प्रकृति-आधारित समाधानों का अनुमान है कि 2030 तक 37 प्रतिशत जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण को प्रदान करने की आवश्यकता है,ताकि जैव विविधता के लिए संभावित सह लाभों के साथ 2 डिग्री सेल्सियस लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता हैं ।

वैश्विक पर्यावरण को अंतरराष्ट्रीय सहयोग और स्थानीय स्तर पर प्रासंगिक उपायों को जोड़ते हुए बढ़ाया जा सकता है । हस्तक्षेप जैसे- प्रोत्साहन और क्षमता निर्माण; अंतर –क्षेत्रीय सहयोग; पूर्व-खाली कार्रवाई; व्यवहार्यता और अनिश्चितता के संदर्भ में निर्णय लेना और पर्यावरण कानून और कार्यान्वयन से प्रकृति के अंतर्निहित अप्रत्यक्ष चालकों से निपटते हुए परिवर्तनकारी परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है।

डॉ. वी. श्रीनिवास राव
प्रशिक्षण संयोजक, सी एन आर एम
डॉ. वी. सुरेश बाबू
एसोसिएट प्रोफेसर, सीसीसी एवं डीएम

अनुभवातीत ध्यान के माध्यम से तनाव को दूर करना विषयक पुस्तकालय व्याख्यान

अनुभवातीत ध्यान के माध्यम से तनाव को दूर करना विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत करते हुए श्री जी. अनिल योग प्रशिक्षक

अनुभवातीत ध्यान तकनीक

अनुभवातीत ध्यान तकनीक या टीएम एक प्रकार का मौन मंत्र ध्यान है, जिसे महर्षि महेश योगी द्वारा विकसित किया गया है। ध्यान अभ्यास में एक मंत्र का उपयोग शामिल है और प्रति दिन दो बार 20 मिनट के लिए आंखें बंद कर अभ्यास किया जाता हैं। यह सबसे व्यापक रूप से प्रचलित अभ्यासों में से एक है, और सबसे व्यापक रूप से शोध की गई ध्यान तकनीकों में से इस पर 340 से अधिक समीक्षित अध्ययन प्रकाशित हुए हैं। 1965 में शुरू होकर, अनुभवातीत ध्यान तकनीक को संयुक्त राज्य अमेरिका, लैटिन अमेरिका, यूरोप और भारत में स्कूलों, विश्वविद्यालयों, निगमों और जेल कार्यक्रमों में शामिल किया गया है। 1977 में, एक अमेरिकी संघीय जिला अदालत ने फैसला सुनाया कि टीएम और विज्ञान में एक पाठ्यक्रम न्यू जर्सी के कुछ स्कूलों में क्रिएटिव इंटेलिजेंस (एससीआई) सिखाया जा रहा था, जो स्वभाव में धार्मिक था और प्रथम संशोधन का उल्लंघन था। हालाँकि, तकनीक को दुनिया भर में कई शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल किया गया है।

(स्रोत: विकिपीडिया)

विकास प्रलेखन और संचार केंद्र ने संकाय सदस्यों के साथ-साथ विविध विषयों पर स्त्रोत व्यक्तियों द्वारा बातचीत की सुविधा के लिए एक मंच के रूप में 'पुस्तकालय व्याख्यान' की शुरुआत की थी।

5 वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ संयोग करते हुए, योग प्रशिक्षक श्री अनिल. जी द्वारा 'अनुभवातीत ध्यान के माध्यम से तनाव को खत्म करने' विषय पर 21 जून, 2019 को लाइब्रेरी हॉल में एक व्याख्यान आयोजित की गई ।

श्री अनिल. जी, जो एनआईआरडीपीआर में नियमित योग सत्र भी संभालते हैं, ने यह कहते हुए अपना व्याख्यान शुरू किया कि दुनिया भर में 15 मिलियन लोग अनुभवातीत ध्यान का अभ्यास करते हैं। वेद ज्ञान का मूल है और अनुभवातीत ध्यान की जड़ें वेदों में हैं। इस विषय पर लगभग 800 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। इस ध्यान तकनीक में चिंतन या एकाग्रता शामिल नहीं है। यह शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है, उन्होंने कहा।

तनाव मन की शक्ति को प्रभावित करता है। अनुभवातीत तकनीक मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में सुधार करता है और चिकित्सकों को गहरा आराम देती है, विशेष रूप से तंत्रिका तंत्र को असीम विश्राम देता हैं यह तकनीक मनोदैहिक विकारों के लिए एक उपाय हो सकती है और गहरे जड़ वाले तनाव को भंग करने की क्षमता भी रखती है यह हृदय रोगों के जोखिम को कम करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गैर-ध्यान वाले नियंत्रणों की तुलना में अनुभवातीत ध्यान तकनीक का अभ्यास करने वाले मरीज में कोरोनरी हृदय रोग में हार्ट-अटैक, स्ट्रोक और मृत्यु की लगभग 50 प्रतिशत कम दर थी, ।

अनुभवातीत ध्यान शरीर के भार को सामान्य बनाने में मदद करता है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों संबंधों में सुधार करता है उन्होंने कहा ।

वरिष्ठ पुस्तकाध्यक्ष डॉ.एम. पद्मजा ने धन्यवाद प्रस्ताव किया। श्रीमती. राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक, डॉ. आकाँक्षा शुक्ला, प्रमुख, सीडीसी, संकाय सदस्यों और गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों ने भाग लिया।

-सीडीसी पहल

तेलंगाना में ओडीएफ स्थिरता के लिए जिला विशिष्ट एसबीसीसी योजना और कार्यान्वयन पर दो दिवसीय कार्यशाला

कार्यशाला के प्रतिभागियों के साथ डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, चौथे बाएं से) और डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीपीए (पहली पंक्ति, बाईं ओर से 5 वीं)

स्वच्छ भारत मिशन देश में खुले में शौच को समाप्त करने के एक मिशन के साथ भारत सरकार का शीर्ष कार्यक्रम है जिसने आईएचएचएलएस के निर्माण के संबंध में महत्वपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया है। हालांकि, इन शौचालयों का उपयोग करने और बनाए रखने के मामले में इस गति को बनाए रखने के लिए समुदायों में व्यवहार परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है।

डॉ. ज्ञानमुद्रा, प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीजीजीपीए और निदेशक, संचार संसाधन इकाई, एनआईआरडीपीआर ने यूनिसेफ के सहयोग से तेलंगाना के 10 जिलों में ओडीएफ स्थिरता के लिए जिला विशिष्ट एसबीसीसी योजना और कार्यान्वयन पर दो दिवसीय तीन कार्यशालाओं का आयोजन किया। कार्यशालाओं का उद्देश्य सामाजिक संग्रहण प्रक्रिया, आईपीसी कौशल और सोशल मीडिया के उपयोग पर जानकारी बढ़ाना और जिलों में ओडीएफ स्थिरता के संबंध में एक महंगी एसबीसीसी सूक्ष्म योजना और निगरानी और रिपोर्टिंग विकसित करना।

29 और 30 मई, 3 और 4 जून और 2 और 3 जुलाई, 2019 के दौरान तीन बैचों में 10 जिलों के प्रतिभागियों ने दो दिवसीय कार्यशाला में भाग लिए। जिलों में भद्राद्री कोत्तागुडेम, निर्मल, नगर करनूल, महबूबनगर, महबूबाबाद, आदिलाबाद, मनचेरियल, जोगुलम्बा गडवाल, कोमारम भीम आसिफाबाद और जयशंकर भूपालपल्ली शामिल हैं।

कार्यशाला में जिलों के पीआर एंड आरडी, आईसीडीएस, शिक्षा, स्वास्थ्य और एसईआरपी जैसे लाइन विभागों के अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया और जिला-विशिष्ट अभिसरण लागत वाली योजनाओं को विकसित करने पर अपने विचार साझा किए। प्रतिभागियों के प्रोफाइल में जिला स्वच्छ भारत मिशन समन्वयक, एसबीएम आईईसी परामर्शक, सहायक परियोजना निदेशक डीआरडीए, अपर डीआरडीओ एसईआरपी, एपीएम एसईआरपी, एसबी पेरक, जिला शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी - एसएसए, स्कूल प्रधानाध्यापक, सीडीपीओ, एसीडीपीओ, डीएमएचओ, स्वास्थ्य विस्तार और शिक्षा अधिकारी (एचईओ) शामिल हैं।

डॉ. ज्ञानमुद्रा ने अपने प्रारंभिक उद्बोधन में जोर देकर कहा कि 2 अक्टूबर 2019 तक प्रत्येक गांव को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया जाना चाहिए और सभी प्रतिभागियों को संबंधित जिलों के लिए एक प्रभावी एसबीसीसी योजना विकसित करने में अवसर का उपयोग करने के लिए आमंत्रित किया।

एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी ने प्रतिभागियों को संबोधित किया और कहा कि ओडीएफ स्थिरता और ओडीएफ + की चुनौती को हल करने के लिए संचार दृष्टिकोण की आवश्यकता है। ओडीएफ / एसबीएम में हर अवसर को टिकाऊ बनाने के लिए व्यावसायिक अवसर मोड की तरह काम किया जाना चाहिए और टिकाऊ योजना विकसित करने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 के लिए अक्तूबर से नए जीपीडीपी की योजना बनाई जाएगी, मैं सभी प्रतिभागियों से अनुरोध करता हूं कि वे जीपीडीपी में अपनी एसबीसीसी योजना में इसे शामिल करें।" यूनिसेफ की सी४डी विशेषज्ञ सुश्री सीमा ने वॉश और ओडीएफ स्थिरता के लिए एसबीसीसी ढाँचा प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि एसबीसीसी योजना पर्याप्त नहीं है और गति बनाए रखने के लिए कार्यान्वयन करते समय इसे आगे भी लागू किया जाना चाहिए।

कार्यशाला के दौरान, राज्य में एसबीएम गतिविधियों के सिंहावलोकन और नियोजित तथा कार्यान्वित की गई विभिन्न आईईसी गतिविधियों की विशेषताओं और चुनौतियों पर जिलों के अनुभव पर विचार-विमर्श किया गया। प्रतिभागियों को अभियान मीडिया योजना पर उपकरण और तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई और

आगे उन्हें जिला-विशिष्ट डाटा के आधार पर ग्राम-पंचायत, मंडल और जिला स्तरीय लागत एसबीसीसी सूक्ष्म योजनाओं को विकसित करने के लिए जिलेवार समूहों में विभाजित किए गए, ताकि इसे जिले की प्राथमिकताओं के साथ और अधिक वैज्ञानिक बनाए जा सके। अभियान की सहायता के लिए, प्रतिभागियों को यूनिसेफ द्वारा विकसित संचार पैकेज से परिचित कराया गया। जिलों ने अपने स्वयं के जिले की गतिविधियों से संबंधित अंतिम योजनाएं प्रस्तुत की जिनमें आईपीसी, मध्य मीडिया, व्यक्तियों, हितधारकों और लाइन विभागों को सम्मिलित करते हुए गाँव, मंडल से जिला स्तर तक के मॉस मीडिया आदि शामिल हैं। विकसित की गई योजना में निगरानी उद्देश्य के लिए प्रत्येक गतिविधि के लिए जिम्मेदार विभाग / अधिकारी हैं। आवश्यक संचार सामग्री जैसे कि पोस्टर, पैम्फलेट, बैनर इत्यादि की गणना की गई और उसी के अनुसार खर्च किया गया।

ओडीएफ पर राज्य नेतृत्व वाले मध्य मीडिया अभियान पर प्रतिभागियों की समीक्षा की गई। इसमें मंडलों और गांवों तक पहुंचते के लिए यूनिसेफ द्वारा इन 10 जिलों के लिए वीडियो वैन का समर्थन शामिल है, जो ओडीएफ में पिछड़े हुए हैं और जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए, ओडीएफ पर मिथकों और भ्रांतियों का सामना करना सुरक्षित स्वच्छता प्रथाओं पर धारणाओं, विश्वासों, दृष्टिकोण को प्रभावित करना और शीघ्र कार्रवाई, स्वस्थ व्यवहार स्वच्छता प्रथाओं को अपनाने और बनाए रखने के लिए व्यक्ति को प्रोत्साहित करना शामिल है।

डॉ. ज्ञानमुद्रा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला समाप्त हुआ। चर्चा की गई कि एनआईआरडीपीआर से कवरिंग नोट के साथ अंतिम योजना सभी जिला कलेक्टरों और जिला एसबीएम टीम को जाएगी ताकि योजना को लागू किया जा सके। जैसा कि सहमति है, कार्यान्वयन के लिए योजना को अपनाने हेतु एनआईआरडीपीआर से कार्यवाही की योजना को 10 जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ साझा किया गया ताकि वे अपने ओर से समीक्षा कर सकें।

सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण पर क्षेत्रीय टीओटी कार्यक्रम

एचआईपीए में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, सीजीजीपीए (पहली पंक्ति बाएं से तीसरे)

हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (एचआईपीए), हिमाचल प्रदेश में 10-14 जून, २०१९ के दौरान सुशासन एवं नीति विश्लेषण (सीजीजीपीए) केंद्र द्वारा सुशासन के लिए सामाजिक जवाबदेही उपकरण पर एक क्षेत्रीय टीओटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कल्याणकारी राज्य में सामाजिक आर्थिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक नीति तैयार और कार्यान्वित की जाती है। सार्वजनिक नीति, जो कि शासन का एक अभिन्न अंग है कुशल शासन सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण करता है।

सुशासन, निर्णय बनाने और लागू करने की प्रक्रियाओं के बारे में है। यह 'सही' निर्णय लेने के बारे में नहीं है, बल्कि उन निर्णयों को लेने के लिए सर्वोत्तम संभव प्रक्रिया के बारे में है। सुशासन न्याय, प्रतिक्रिया, समता और समावेशिता, प्रभावी और दक्षता और भागीदारी के नियम का अनुसरण करते हुए जवाबदेही, पारदर्शिता के विशेषताओं का एक संयोजन है।

सामाजिक जवाबदेही को जवाबदेही बनाने की दिशा में एक दृष्टिकोण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो नागरिक वचनबद्धता पर निर्भर करता है, अर्थात्, यह सामान्य नागरिक और / या नागरिक समाज संगठन हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जवाबदेही को पूरा करने में भाग लेते हैं (विश्व बैंक, 2004)। इस नागरिक वचनबद्धता का उद्देश्य नागरिकों से मांग को प्रोत्साहित करना है और इस प्रकार राज्य या निजी क्षेत्र पर गुणात्मक सेवाएं प्रदान करने के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए दबाव डालना है। इस समीकरण का आपूर्ति पक्ष राज्य की क्षमता और जवाबदेही के निर्माण के बारे में है, जबकि इसे सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन चक्र के विभिन्न चरणों में लागू किया जा रहा है।

सामाजिक जवाबदेही उपकरण विकास व्यवसायियों को स्थानीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर शासन की मांग उत्पन्न करने और अंततः सुधार करने में सक्षम बनाते हैं। सामाजिक जवाबदेही उपकरण सीखने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि सार्वजनिक नीतियाँ निर्णय-केंद्रित और मापने योग्य परिणामों और लक्ष्यों के लिए लक्षित होते हुए लक्ष्य- उन्मुख है।

एचआईपीए में प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. के. प्रभाकर, सहायक प्रोफेसर, सीजीजीपीए (पहली पंक्ति बाएं से तीसरे)

सुशासन का महत्व जनता को, विशेषकर ग्रामीण गरीबों को सेवा के सफल वितरण पर निर्भर करेगा। शासन में सुधार हर दिन का मामला है, वास्तव में हर मिनट का मामला है और एक सतत प्रक्रिया है। सामाजिक जवाबदेही साधनों का उपयोग करके शासन में सुधार किया जा सकता है। ये उपकरण हितधारकों और उपभोक्ताओं के लिए जबरदस्त अंतर पैदा कर सकते हैं। सामाजिक लेखापरीक्षा जैसे सामाजिक जवाबदेही उपकरण में से एक प्रासंगिकता यह है कि यह भ्रष्टाचार को कम कर सकता है। शासन में व्यवस्थित सुधार वास्तव में ग्राहक की मदद कर सकता है और यह तभी संभव है जब हम अपने काम के साथ प्यार करते हों।

कार्यक्रम का विवरण

- यह विशेषज्ञता प्रतिभागियों का ज्ञान बढाएगा और उन्हें सार्वजनिक सेवाओं के वितरण में अपने संगठन के लिए उपकरणों का उपयोग करने में मदद करेगी।
- प्रतिभागी सार्वजनिक मुद्दों के आकलन के तकनीकी पहलुओं को सीखेंगे, जिसमें हितधारकों की भागीदारी भी शामिल है।
- साधनों का अनुप्रयोग लक्ष्यों की प्राप्ति, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों की पूर्ति को प्रोत्साहित करता है, और सरकारी कार्यालय में जन विश्वास और भरोसे को बढ़ायेगी।
- प्रायोजक संगठन पहचान प्राप्त करेगी और दृष्टि में सुधार करेगी।
- क्षेत्रीय टीओटी प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित उद्देश्यों को संबोधित करना है:
- प्रतिभागियों को कल्याणकारी राज्य और उसकी नीतियों की अवधारणा से अवगत कराना
- मौजूदा नीतियों में शासन के कमियों और अंतराल की पहचान करना
- प्रतिभागियों को विभिन्न सामाजिक जवाबदेही उपकरण सीखने में सक्षम बनाना
- ग्रामीण विकास के मौजूदा प्रमुख कार्यक्रमों के विश्लेषण के लिए उन उपकरणों को लागू करना
- औजारों को सत्यापित और स्थापित करना
- बेहतर सेवा वितरण के लिए प्रतिभागियों को ज्ञान और सामाजिक जवाबदेही उपकरण कौशल से सुसज्जित करना

प्रशिक्षण कार्यक्रम में निम्नलिखित मॉड्यूल कवर किए गए:

- सुशासन की अवधारणा, दृष्टिकोण और तत्व
- सामाजिक जवाबदेही की अवधारणा, दृष्टिकोण, तर्क और उपकरण
- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग: बजट विश्लेषण, निधि उपयोग और भागीदारी बजटिंग
- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग: सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी)
- सामाजिक जवाबदेही उपकरण तकनीकों का अनुप्रयोग: नागरिक रिपोर्ट कार्ड (सीआरसी)

विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा 'सामाजिक जवाबदेही उपकरण' से संबंधित विभिन्न विषयों को कवर करने के लिए इस कार्यक्रम को निर्धारित किया गया। इसमें बेहतर सेवा वितरण के लिए सामाजिक जवाबदेही साधनों के दायरे और आवश्यकता को कवर करना, सुशासन: सामाजिक जवाबदेही उपकरण: नागरिक रिपोर्ट कार्ड (सीआरसी) का प्रारंभ, संदर्भ और औचित्य, विशेषताएं, आवेदन, सीआरसी कार्यप्रणाली, सीआरसी डिजाइन करना – सर्वेक्षण विज्ञान; सीआरसी निष्कर्षों का प्रसार, प्रभावी वकालत के लिए सुझाव, सीआरसी के लिए डाटा संग्रह और डाटा विश्लेषण, आदि, सामुदायिक स्कोर कार्ड - सीएससी उपकरण और छह प्रमुख चरणों का वर्णन : प्रारंभिक निम्न स्तर कार्य;

परिभाषितमुद्दे / समस्याएँ	असर	उपकरण / दृष्टिकोण
निगरानी / जवाबदेही	- कमजोर संस्थागत (औपचारिक) निगरानी प्रक्रिया - सेवा वितरण के लिए कमजोर प्रोत्साहन	नागरिक रिपोर्ट कार्ड सामुदायिक स्कोर कार्ड सामाजिक लेखापरीक्षा
व्यय ट्रैकिंग	- इच्छित लाभार्थियों तक संसाधन पहुंचने में	सहभागी व्यय ट्रैकिंग
बजट आवंटन	- गलत माल पर खर्च - लक्ष्य समूहों का गलत समावेश / बहिष्करण	सहभागी व्यय ट्रैकिंग अध्ययन (पीईटीएस)

इनपुट-ट्रैकिंग स्कोरकार्ड; समुदाय द्वारा प्रदर्शन स्कोरकार्ड; सेवा प्रदाताओं द्वारा स्व-मूल्यांकन स्कोरकार्ड; इंटरफ़ेस बैठक और कार्य योजना; संस्थानीकरण; बजट विश्लेषण; सार्वजनिक व्यय ट्रैकिंग सर्वेक्षण (पीईटी) और सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआईप्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री को व्याख्यान-सह-चर्चा भूमिका निभाना; बहस; सीआरसी, सीएससी पर प्रशिक्षण, बजट विश्लेषण, समूह अभ्यास और समूहों द्वारा प्रस्तुति जैसे विवेकपूर्ण मिश्रण के माध्यम से वितरित की गई । प्रत्येक उपकरण को पढ़ाकर कॉल पूरा करने के बाद क्षेत्र परीक्षण की योजना बनाई गई ।

जिला परियोजना अधिकारियों (पीओ), डीआरडीए के अधिकारियों, जिला पंचायत अधिकारियों, हिमाचल प्रदेश के राज्य और जिला स्त्रोत व्यक्ति, राज्य सामाजिक लेखापरीक्षा इकाई, एच आई पी ए के संकाय, हिमाचल राज्य विश्वविद्यालय के विद्वानों और संकाय सदस्यों सहित कुल ३३ प्रतिभागियों ने टीओटी कार्यक्रम में भाग लिए। अंतिम दिन पर, प्रतिभागियों ने विशेष रूप से नागरिक रिपोर्ट कार्ड (सीआरसी) और सामुदायिक स्कोर कार्ड (सीएससी) सीखने के अनुभवों पर अपने प्रशिक्षण और क्षेत्र दौरा शिक्षण पर प्रस्तुति दिए ।

पाठ्यक्रम के समापन के दौरान, प्रतिभागियों ने निम्नलिखित अनुभवों को साझा किया:

- सामाजिक जवाबदेही साधनों के महत्व के बारे में स्व-जागरूकता
- सहयोगियों में साधनों के ज्ञान का प्रसार
- सेवा वितरण मूल्यांकन के लिए एसए उपकरण उपयोग करने के लिए, जहां भी संभव हो, सेवा प्रदाताओं को संवेदनशील बनाना
- शिक्षाविदों में लोग निगरानी और मूल्यांकन पर पाठ के भाग के रूप में इस उपकरण को शामिल कर सकते हैं

सुशासन एवं नीति विश्लेषण केन्द्र (सीजीजीपीए) के सहायक प्रोफेसर डॉ. के. प्रभाकर ने पांच दिवसीय प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ।

ग्रामीण विकास के लिए लघु उद्यमों के वित्तपोषण पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से 5 वां स्थान), डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफआईई (पहली पंक्ति, बाएं से चौथे) और डॉ. डी. रवि, परामर्शक, सीआईसीटीएबी (पहली पंक्ति, बाएं से छठे)

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का महत्व निर्विवाद है। यह अन्य सार्क देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर समान रूप से लागू होता है । भारत में एमएसएमई की कुल संख्या में सूक्ष्म और लघु उद्यमों की संख्या 90 प्रतिशत से अधिक है । छोटे उद्यमों की प्रासंगिकता इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें जीडीपी की वृद्धि दर, निर्यात, रोजगार का सृजन और ग्रामीण विकास शामिल हैं । तदनुसार, इन छोटे उद्यमों के वित्तपोषण के लिए सरकारी बैंकों और सामाजिक संगठनों से विशेष ध्यान की आवश्यकता है । वास्तव में, विकासशील देशों को सूक्ष्म / लघु उद्यमों की स्थापना के लिए वंचितों की मदद करके गरीबी को कम करने के लिए छोटे उद्यमों के वित्तपोषण पर ध्यान देने की आवश्यकता है । ग्रामीण वित्त को बड़े पैमाने पर प्रदान करने से आर्थिक विकास में मदद मिल सकती है, जिससे वित्तीय समावेशन भी प्राप्त होगा । हालांकि, आजीविका की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वित्त की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाने के अलावा, युवाओं को कौशल उद्यमिता विकास प्रदान करने की आवश्यकता है । उपरोक्त पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए, सीएफआईई ने सीआईसीटीएबी, पुणे के सहयोग से एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में 10-14 जून, 2019 के दौरान 'ग्रामीण विकास हेतु छोटे उद्यमों का वित्तपोषण ' पर पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया ।

कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य हैं:

- ग्रामीण विकास के लिए छोटे उद्यमों के वित्तपोषण और भारत में नीतियों, रणनीतियों एवं कार्यक्रमों पर प्रतिभागियों को जागरूक करना

कार्यक्रम के प्रतिभागियों के साथ बातचीत करते हुए डॉ. एम. श्रीकांत

- प्रतिभागियों को उनकी प्रबंधकीय चुनौतियों और व्यावसायिक अवसरों के संदर्भ में ग्रामीण विकास में वित्तीय संस्थानों की भूमिका की सराहना करने में मदद करना

- प्रतिभागियों को भारत में वित्तीय संस्थानों द्वारा अपनाये जा रहे ग्रामीण विकास के लिए छोटे उद्यमों का वित्तपोषण करते समय सर्वोत्तम प्रथाओं को समझने में सक्षम बनाना

डॉ. डी. रवि, परामर्शक, सीआईसीटीएबी, पुणे द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया । प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए, उन्होंने कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया दिया, इसके उद्देश्यों के बारे में बताया और स्व-परिचयात्मक सत्र आयोजित किया ।

कार्यक्रम की सामग्री

- ग्रामीण भारत के लिए कौशल
- अक्षय ऊर्जा: हाल के विकास और आगे बढ़ने के रास्ते
- स्थायी आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में एफपीओ की भूमिका
- ग्रामीण उद्यमिता-मितव्ययी नवाचार
- भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण
- वित्तीय साक्षरता: वित्तीय समावेशन को बढ़ाने के लिए उपकरण
- ग्रामीण विकास में भू-संसूचना विज्ञान का अनुप्रयोग
- ग्रामीण विकास के लिए सूक्ष्म लघु उद्यमों का वित्तपोषण
- ग्रामीण विकास के लिए छोटे उद्यमों का योगदान
- सतत ग्रामीण आजीविका का सृजन

प्रतिभागिगण

कार्यक्रम में बांग्लादेश (2), नेपाल (12) और श्रीलंका (2) से कुल 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया । आंशिक रूप से सीआईसीटीएबी, पुणे द्वारा प्रायोजित किया गया ।

स्रोत व्यक्ति / संकाय

सीएफआईई के आंतरिक संकाय सदस्य और अतिथि संकाय कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञ के रूप में योगदान दिए हैं ।

क्रियाविधि

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षण क्रियाविधियों की एक श्रृंखला, जैसा कि नीचे दिखाया गया है, का उपयोग कार्यक्रम के व्यापक और विशिष्ट उद्देश्यों, अवधि और प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया ।

- व्याख्यान और पारस्परिक सत्र (पीपीटी)
- विभिन्न विषयों पर समूह चर्चा / मामला अध्ययन
- वीडियो क्लिप और चर्चा
- व्यक्तिगत और समूह गतिविधियाँ / अभ्यास
- पुनर्कथन सत्र
- क्षेत्र दौरा

क्षेत्र प्रदर्शनी दौरा

व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करने और कक्षा में प्राप्त शिक्षण को सुदृढ़ करने के लिए, कार्यक्रम के दौरान निम्नलिखित क्षेत्र दौरे आयोजित किए गए :

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), चिलुकूरु, रंगा रेड्डी जिला ।

12 जून, 2019 को, सीएफआईई टीम के साथ प्रतिभागियों ने रंगा रेड्डी जिले के चिलुकूरु गांव के आर-सेटी का दौरा किया। युवाओं विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे वालों में बेरोजगारी की समस्या को कम करने के उद्देश्य से, श्री धर्मस्थल मंजुनाथेश्वरा एजुकेशनल ट्रस्ट, वाणिज्यिक बैंकों के सहयोग से 1982 में कर्नाटक के धर्मस्थल में ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआई) की स्थापना की । आरयूडीएसईटीआई एक प्रतिकृति मॉडल बन गया है। संबंधित जिलों के लीड बैंकों के साथ मिलकर एम ओ आर डी ने देश के सभी जिलों में आरएसईटीआई की स्थापना की है । आरएसईटीआई युवाओं को लाभदायक सूक्ष्म उद्यमों को शुरू करने और उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षित प्रदान करता है, जिससे समग्र राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान मिलता है। आरएसईटीआई, चिलुकूरु की दौरे से प्रतिभागियों ने आरएसईटीआई द्वारा स्वरोजगार के साथ युवाओं को सशक्त बनाने में की गई विभिन्न गतिविधियों को समझा । उन्होंने आरएसईटीआई में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के निदेशक और प्रतिभागियों के साथ बातचीत की । सीआईसीटीएबी के प्रतिभागी आरएसईटीआई के मॉडल और आरएसईटीआई, चिलुकूरु में बिक्री के लिए रखे गए उत्पादों जिसे आरएसईटीआई के प्रशिक्षुओं द्वारा तैयार किया गया है से बहुत प्रभावित हुए ।

प्रतिभागियों से प्राप्त प्रतिक्रिया के अनुसार कार्यक्रम सफल रहा । सभी प्रतिभागियों ने महसूस किया कि प्रशिक्षण कई मायनों में उपयोगी रहा है । क्षेत्र दौरे से उन्हें खुशी हुई, जिससे उन्हें छोटे उद्यमों से निपटने में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिली, आरएसईटीआई, चिलुकुरु द्वारा अपनाई गई कार्यविधि का पालन करके कितनी अच्छी तरह से चीजों को प्रबंधित किया जा सकता है ।

कार्यक्रम का समन्वय डॉ. एम. श्रीकांत, एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्ष, सीएफआईई, और डॉ. ए. भवानी, परामर्शक, सीएफआईई द्वारा किया गया ।

समूह-आधारित रणनीतियो (डब्ल्युआईएन जीएस) के माध्यम से महिलाओं के पोषण में सुधार : सैद्धांतिक और ऐतिहासिक आधार को सुदृढ़ करना पर डॉ. नेहा कुमार, आईएफपीआरआई ने प्रस्तुत किया व्याख्यान

आईएफपीआरआई सत्र को संबोधित करते हुए डॉ. नेहा कुमार, वरिष्ठ शोधकर्ता, डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर, श्रीमती राधिका रस्तोगी, आईएएस, उप महानिदेशक और डॉ. सुचरिता पुजारी, सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई भी उपस्थित

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान में गरीबी, स्वास्थ्य और पोषण प्रभाग में वरिष्ठ शोधकर्ता के पद पर कार्यरत डॉ. नेहा कुमार वर्तमान में भारत और बांग्लादेश में कृषि, पोषण और लिंग के बीच संबंधों की जांच के लिए परियोजनाओं के संविभाग का नेतृत्व कर रही हैं। डॉ. नेहा कुमार को भारत में और विश्व स्तर पर पोषण संदेश पहुंचाने के लिए एक मंच के रूप में महिलाओं के स्व-सहायता समूहों का लाभ उठाने की क्षमता पर व्याख्यान प्रस्तुत करने के लिए 24 जून, 2019 को एनआईआरडीपीआर में आमंत्रित किया गया।

एसके राव हॉल में आयोजित सत्र की शुरुआत स्वागत भाषण और डॉ. नेहा कुमार के संक्षिप्त परिचय के साथ हुआ जिसे डॉ. सुचरिता पुजारी, सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई, एनआईआरडीपीआर ने प्रस्तुत किया। डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक और श्रीमती राधिका रस्तोगी, उप महानिदेशक (डीडीजी) ने सत्र की अध्यक्षता की। महानिदेशक द्वारा औपचारिक स्वागत के बाद, डॉ. नेहा कुमार ने सभा को संबोधित किया और 'समूह-आधारित रणनीतियों के माध्यम से पोषण में सुधार करने वाली महिला (डब्ल्यु आई एन जी एस): वैचारिक और अनुभवजन्य आधार को मजबूत करना' शीर्षक अपने शोध पत्र का पॉवरपॉइंट प्रस्तुत किया।

महिलाओं के समूह में क्यों निवेश करे और कैसे डब्ल्यु आई एन जी एस परियोजना कार्य पर गुम हुए साक्ष्य एकत्र करके अंतराल को भरने में मदद करेंगे जिनके माध्यम से महिलाओं के सामूहिक वांछित परिणाम प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं को दोहराने द्वारा सत्र शुरू हुआ। पीआरएडीएएन, पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क (पीएचआरएन), आईएफपीआरआई और ऑक्सफोर्ड नीति प्रबंधन के साथ साझेदारी में विंग्स पांच वर्ष (2015-2020) की एक परियोजना है। मार्ग के वैचारिक और अनुभवजन्य समझ को मजबूत करने के लिए पीआरएडीएएन द्वारा कार्यान्वित एसएचजी- कृषि-पोषण हस्तक्षेप का मूल्यांकन जिसके माध्यम से एसएचजी पोषण में सुधार कर सकते हैं; और संवाद को मजबूत करने के लिए विविध दर्शकों के साथ संलग्न होना और कृषि-पोषण-जेंडर संबंधों पर शोध निष्कर्षों को आगे रखना विंग्स अध्ययन के दो प्रमुख घटक हैं। एक मानक और नियंत्रण समूह के साथ मात्रात्मक रूप से पीआरएडीएएन (प्रभाव मूल्यांकन दृष्टिकोण) के पोषण गहनता के हस्तक्षेप का मूल्यांकन करके और मार्ग को गुणात्मक रूप से विश्लेषण करने के लिए प्रक्रिया (प्रक्रिया मूल्यांकन दृष्टिकोण) के मूल्यांकन द्वारा अध्ययन के लिए एक मिश्रित विधि दृष्टिकोण को अपनाया जाता है।

महिला समूहों के शरीर भार सूची और आहार विविधता में सुधार के लिए पीआरएडीएएन के हस्तक्षेप के रास्ते की पहचान करने के लिए एक वैचारिक रूपरेखा विकसित की गई और इस संबंध में 'दक्षिण एशिया में महिलाओं के समूह-आधारित कार्यक्रमों से पोषण परिवर्तन तक के मार्ग: एक वैचारिक रूपरेखा और साहित्य समीक्षा' प्रपत्र शीर्षक डॉ. नेहा कुमार और अन्य सह-लेखकों द्वारा वैश्विक खाद्य सुरक्षा में प्रकाशित की गई। प्रपत्र में यह प्रस्तुत है कि महिलाओं के समूह कार्यक्रमों में पोषण में सुधार करने की क्षमता है लेकिन पोषण के मार्ग लंबे और जटिल हैं। चार संभावित रास्ते: आय, खाद्य उत्पादन, पोषण जागरूकता और अधिकार-आधारित संयोजन; तीन क्रॉस कटिंग रास्ते है: सामाजिक पूंजी, सामूहिक रूप से कार्य करना और महिला की सशक्तिकरण पहचाने गए मुख्य रास्ते बनते हैं।

पोषण के लिए कारकों (तत्काल, अंतर्निहित, मूल) की पहचान करने में मदद करने के लिए पोषण परिणामों के निर्धारक पर यूनिसेफ के वैचारिक ढांचे को उधार लेकर इस रूपरेखा को विकसित किया गया है और कैसे कृषि एवं पोषण, और जेंडर की भूमिका (कादियाला आदि, 2014) के बीच महिलाओं के समूहों (डब्ल्युजी) और रास्ते के टीएएनडीआई ढांचे से जोड़ा जा सकता है।

दोनों ने महिलाओं के समूहों में प्रवेश बिंदुओं को महत्वपूर्ण रूप से पहचानने में मदद की। क्षेत्र प्रदर्शनी से प्राप्त ज्ञान को ढाँचा विकसित करने के लिए लागू किया गया जो बदले में महिलाओं के समूहों, प्रदान किए गए निवेश, ट्रिगर की गई प्रक्रियाओं, आउटपुट और परिणामों से पहचान करने में मदद करता है जिसे पोषण से जोडा जा सकता हैं।

पोषण को सुधारने में हस्तक्षेपों के इष्टतम संयोजन और प्रभाव मार्गों के साथ कारक और पोषण को सुधारने में डब्ल्युजी की भूमिका के बारे में अधिक जानने के लिए एक साहित्य समीक्षा की गई। समीक्षा के प्रमुख निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि दक्षिण एशिया में अल्प पोषण के कई निर्धारकों को संबोधित करने के लिए बहु क्षेत्रीय कार्यक्रमों की आवश्यकता होती है, लेकिन साक्ष्य का आधार सीमित है और अधिकांश अध्ययन पथ पर अंतर्दृष्टि प्रदान नहीं करते हैं। जिससे विंग्स को कृषि कार्यक्रमों के पोषण-गहनता के माध्यम से पोषण में सुधार के लिए एक मौजूदा एसएचजी मंच का उपयोग करने की क्षमता पर साक्ष्य प्रदान करने के लिए एक दृढ और मजबूत अध्ययन के रूप में डिज़ाइन किया गया है।

गहन परीक्षा और प्रक्रिया मूल्यांकन से कुछ परिणामों की पहचान की जाती है जिसमें सकारात्मक परिवर्तन और कमजोर बिंदु दोनों शामिल हैं। महिला समूह के सदस्यों के बीच सकारात्मक बदलाव हैं: सूचना तक अधिक पहुँच, कृषि निर्णयों में अधिक भागीदारी, बढते राजनीतिक कार्य, व्यापक सामाजिक नेटवर्क, उच्च सशक्तिकरण स्कोर, पुरुषों और महिलाओं के सशक्तीकरण के बीच कम अंतराल, आय के उपयोग पर अधिक नियंत्रण, ऋण एक्सेस और ऋण निर्णयों में सहभाग, अधिक गतिशीलता, उच्च स्वास्थ्य और पोषण प्रशिक्षकों और पोषन सखियों के बीच ज्ञान और गैर-सदस्यों की तुलना में सदस्यों के बीच व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) संदेशों की संभावित दरों का निर्धारण। निष्कर्षों से महत्वपूर्ण कमजोर बिंदु हैं: सदस्यों के पास अधिक कार्यभार है, जेंडर मानदंड धीरे से बदलते हैं, बैठकें अक्सर पर्याप्त नहीं होती हैं, और संदेश जटिल और समझने में कठिन होते हैं। इसलिए सॉफ्ट स्किल्स को बेहतर बनाने और उच्च स्तर संघ को मजबूत करने की जरूरत है।

प्रस्तुति के दौरान डॉ. नेहा कुमार ने आयोजित शोध के निष्कर्षों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य के रूप में क्षेत्र से अपने बहुमूल्य अनुभवों को साझा किया।

प्रस्तुति के बाद प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित किया गया, जिससे दर्शकों को डॉ. नेहा कुमार द्वारा साझा किए गए अध्ययन के बारे में अपने संदेह को स्पष्ट करने में मदद मिली। प्रश्नोत्तर सत्र के कुछ महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि नीचे उल्लिखित हैं:

- पोषण बहुआयामी है और सही प्रभाव को पकड़ने के लिए पोषण के तरीकों को उचित रूप से नहीं मापा जाता है।
- पीआरएडीएएन द्वारा बीसीसी मूल रूप से महिलाओं को दिया जाता है, लेकिन कई बार पुरुष और परिवार के अन्य सदस्य भी स्वास्थ्य संदेश देने में लगे रहते हैं।
- हस्तक्षेपों का संदर्भ प्रभावी और सावधानीपूर्वक होना चाहिए ताकि पोषण में सुधार के लिए प्रभाव मार्गों और हस्तक्षेपों के इष्टतम संयोजन को प्राप्त कर सके।
- स्वास्थ्य संदेश के प्रभावी वितरण को एक गुणात्मक सर्वेक्षण द्वारा पहचाना जाना है क्योंकि पोषण और स्वास्थ्य के बारे में परिवारों का ज्ञान कम है, हालांकि कार्यकर्ता की समझ उच्च है इसके अलावा व्यवहार परिवर्तन के लिए कोई संगठित मंच भी नहीं हैं।

वास्तव में, एनआईआरडीपीआर के संकाय और छात्रों द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों को भी उसके द्वारा स्वीकार किया गया। सत्र के अंत में, उप महानिदेशक ने अतिथि को सम्मानित किया। डॉ. सुचरिता पुजारी, सहायक प्रोफेसर, सीपीजीएस एवं डीई, एनआईआरडीपीआर ने धन्यवाद ज्ञापन अर्पित किया रखा।

वार्ता के दौरान डॉ. नेहा कुमार के साथ बातचीत करते छात्र और संकाय सदस्य

सतत आजीविका के लिए जलवायु परिवर्तन अनुकूलन पद्धतियों पर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

बाईं ओर से दक्षिणावर्त: डॉ. डब्ल्यु. आर. रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडीपीआर (पहली पंक्ति, बाएं से तीसरे) उनके साथ एसएलएसीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम की पाठ्यक्रम सामग्री जारी करने वाले गणमान्य लोगो के साथ; क्षेत्र का दौरा और सत्र प्रगति पर

आज की सबसे बड़ी वर्तमान चुनौतियों में से दो जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा को प्राप्त करना, पर्यावरण पर मांगों को समेटना मानवता के लिए एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। वैश्वीकरण, आर्थिक विकास, शहरीकरण और उपभोग की आदतों में बदलाव प्राकृतिक संसाधनों पर बोझ को और बढ़ा देगा। हरित क्रांति से सीखे गए सबक भविष्य के लिए विकास के नए प्रतिमान विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुल मिलाकर, इसे अनुकूलन और शमन के उद्देश्य से बड़े प्रयासों की आवश्यकता होगी। जलवायु परिवर्तन के लिए प्राकृतिक संसाधनों की चुनौतियों और प्रबंधन को दूर करने के लिए हमें तेजी से प्रगति और उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान की आवश्यकता है।

संसाधनों के प्रबंधन के लिए विभिन्न अनुकूलन और न्यूनीकरण रणनीतियों का परीक्षण और सत्यापन किया जाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इन रणनीतियों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं। बहरहाल, जलवायु लचीला व्यवहार के रुप में इन तकनीकों को अपनाना सीमित है। इन प्रथाओं को चलाने के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन/रूपरेखा की आवश्यकता है ताकि समुदाय स्तर पर अभिग्रहण का सुधार कर सके।

सतत आजीविका और जलवायु परिवर्तन अभिग्रहण (एसएलएसीसी) परियोजना ने सामुदायिक स्त्रोत व्यक्तियों (सीआरपी) और मिशन कर्मचारियों के माध्यम से जलवायु लचीला प्रथाओं के प्रसार में भूमिका निभाई है। यह परियोजना बिहार और मध्य प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है जहां बाढ़ और सूखे की स्थिति व्याप्त है। यह परियोजना विशेष जलवायु परिवर्तन निधि (एसीसीएफ) द्वारा समर्थित है, जिसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा (जीईएफ) के माध्यम से प्रशासित किया गया है। इस परियोजना को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के माध्यम से विश्व बैंक और ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) द्वारा लागू किया गया है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने जलवायु लचीला प्रथाओं पर सीआरपी और मिशन के कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक प्रमाणपत्र कार्यक्रम विकसित किया है। एनआईआरडीपीआर ने मध्य प्रदेश और बिहार राज्यों में मास्टर प्रशिक्षकों के रूप में 200 सीआरपी की क्षमता बनाने का प्रस्ताव रखा है। ये सीआरपी नियमित आधार पर एनआरएलएम के साथ काम करेंगे और यह गांवों एवं एनआरएलएम की दीर्घकालिक संपत्ति हैं। कृषि-स्तरीय जलवायु व्यवहार्य गतिविधियों के लिए 25 प्रौद्योगिकी हस्तक्षेपों के पैकेज को प्राथमिकता दी जाती है। इनका उद्देश्य खेती की लागत को कम करना, उपज और आय में सुधार, लाभप्रदता, महिलाओं को सशक्त बनाना और रोजगार पैदा करना है। प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन केन्द्र (सीएनआरएम) और जलवायु परिवर्तन और आपदा न्यूनीकरण प्रबंधन केन्द्र (सीसीसीडीएम) ने एनआईआरडीपीआर का प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया है और जून, 2019 से कार्यक्रमों की शुरुआत की है। क्रीडा- केन्द्रीय बारानी कृषि संस्थान, हैदराबाद, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी (एनएएआरएम) के ज्ञान पार्टनर और विशेषज्ञों ने प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने में योगदान दिया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम जून से सितंबर, 2019 के दौरान 8 बैच (प्रत्येक 15 दिन अवधि) के लिए आयोजित किया जाएगा।

एनआईआरडीपीआर, हैदराबाद में श्योपुर (37 लोग) और मंडला (40 लोग) से सीआरपी के लिए ६ और 22 जून, 2019 और 12-28 जून, 2019 को पहली और दूसरी बैच के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों का संयोजन प्रो. रविंद्र एस. गवली, सीएनआरएम, डॉ. के. कृष्णा रेड्डी और सीसीसीडीएम के डॉ. वी. सुरेश बाबू ने किया। प्रमाणपत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य सीआरपी के माध्यम से जलवायु व्यवहार्य प्रथाओं का प्रसार करना और कृषि एवं ग्रामीण आजीविका में अनुकूलन रणनीतियों में सुधार करना है।

एनआईआरडीपीआर के महानिदेशक, डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस ने उद्घाटन भाषण प्रस्तुत किया । डॉ. उषा रानी, आईएएस, महानिदेशक, मैनेज, हैदराबाद; श्रीमती. जी. जयलक्ष्मी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईपीएचएम, हैदराबाद; डॉ. रविन्द्र चारी, निदेशक, क्रीडा, हैदराबाद और श्री बी. के. मिश्रा, महाप्रबंधक, नाबार्ड, हैदराबाद ने भी उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान अपने बहुमूल्य विचार साझा किए, जिसमें प्रमाणन कार्यक्रम की आवश्यकता और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु संग्रहण विषय को संबोधित किया गया ।

विभिन्न संगठनों अर्थात, केन्द्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान (क्रीडा), प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय (पीजेटीएसएयू), और आईसीएआर-कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय, हैदराबाद, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, मध्य प्रदेश के प्रख्यात वक्ताओं और एनआईआरडीपीआर के संकाय को सीआरपी को प्रशिक्षित करने के लिए आमंत्रित किया गया । प्रशिक्षण मॉड्यूल में जलवायु परिवर्तन पर बुनियादी नोट्स और कृषि और अनुकूलन योजना पर इसके प्रभाव विभिन्न जलवायु लचीला तकनीकों जैसे कि मिट्टी की स्वास्थ्य प्रबंधन प्रथाओं, बीज उपचार, शून्य जुताई, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन; जैविक खेती; चावल खेती की तकनीक (एसआरआई, डीएसआर, मशीन ट्रांसप्लांटिंग), खेत तालाब और सूक्ष्म सिंचाई; वैकल्पिक आजीविका (अज़ोला, मशरूम और पोषण उद्यान), पशुधन और डेयरी खेती; पिछवाड़े मुर्गी पालन; छोटे जुगाली करने वाले पशुओं का पालन; चारा फसलों का प्रबंधन; फसल बीमा और प्रमुख कार्यक्रमों का अभिसरण शामिल थे ।

क्लासरूम सत्रों के अलावा, सीआरपी को नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स (एनबीपीजीआर), राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान (एनआईपीएचएम), क्रीडा अनुसंधान कृषि, एनआईसीआरए- केवीके, करनूल और गद्दीपल्ली (जलवायु व्यवहार कृषि में राष्ट्रीय नवाचार), भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआईआरआर), भारतीय तिलहन अनुसंधान संस्थान (आईआईओआर), पी.वी. नरसिम्हा राव तेलंगाना पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय, हैदराबाद; प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना राज्य कृषि विश्वविद्यालय की वनस्पति अनुसंधान केंद्र और बायोकंन्ट्रोल यूनिट; कुक्कुट अनुसंधान निदेशालय (डीपीआर), हैदराबाद और ग्रामीण प्रौद्योगिकी पार्क (आरटीपी), एनआईआरडीपीआर के लिए व्यावहारिक प्रदर्शनों के लिए कार्यात्मक संस्थानों का दौरा कराया गया ।

राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं प्रबंधन संस्थान (मैनेज) ने प्रतिभाग लिए सी आर पी के लिए प्रशिक्षण मूल्यांकन का आयोजन किया और सफल उम्मीदवारो को प्रमाणित किया । सी आर पी को एक टूल किट प्रदान किया जिसमें क्षेत्र स्तर पर प्रौद्योगिकियों के प्रसार में सहायता के लिए हिन्दी में पाठ्यक्रम सामग्री (एस एल ए सी सी – सी आर पी के लिए पाठ्यक्रम मैन्युअल) प्रशिक्षण पोस्टर (25) और सीडी (पढने की सामग्री और वीडियो व्याख्यान सहित) रखे गए ।

सुश्री लीना जौहरी, आईएएस, संयुक्त सचिव, एमओआरडी ने चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में सीआरपी (द्वितीय बैच) के साथ बातचीत की । सीआरपी ने व्यक्त किया कि यह कार्यक्रम बहुत ही विशिष्ट है और बदलती जलवायु परिस्थितियों में उन्हें अपनी आजीविका बनाए रखने में इससे मदद मिलेगी । सीआरपी ने कार्यक्रम की सराहना की और उन्होंने आश्वासन दिया कि वे अधिकतम हस्तक्षेपों को अपनाएंगे और अन्य किसानों को जलवायु स्मार्ट किसान बनने के लिए प्रशिक्षित करेंगे ।

कार्यक्रमों का संयोजन प्रो. रवींद्र एस. गवली, डॉ. के. कृष्णा रेड्डी और डॉ. वी. सुरेश बाबू ने किया ।

भारत सरकार सेवार्थ

बुक पोस्ट
(मुद्रित सामग्री)

डॉ. डब्ल्यु आर रेड्डी, आईएएस, महानिदेशक, एनआईआरडी एवं पीआर

संपादक : डॉ. के पापम्मा
सहायक संपादक: कृष्णा राज
के.एस. विक्ट र पॉल

एनआईआरडी एवं पीआर
राजेन्द्रनगर, हैदराबाद – 500 030 की ओर से

हिन्दी संपादन:
अनिता पांडे
हिन्दी अनुवाद:
ई. रमेश, वी. अन्नपूर्णा, रामकृष्णा रेड्डी, श्री अशफाख हुसैन

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार

टेलिफोन : (040)-24008473, फैक्स: (040)-24008473
ई मेल : cdc.nird@gov.in, वेबसाईट: www.nirdpr.org.in

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण | अनुसंधान और अनुप्रयोग विकास | नीति प्रयोजन और समर्थन | प्रौद्योगिकी अंतरण | शैक्षणिक कार्यक्रम | अभिनव कौशल और आजीविका